



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
SCHOOL

पिड़ावा मास्टर प्लान

(2010–2031)

(राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत तैयार किया गया)

आवास विकास लिमिटेड, जयपुर

आई.ऐ.डी. स्टूडियो, गुडगाँव

नगर नियोजन विभाग

राजस्थान सरकार

RIVER CHAULI

MATTH



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

पिड़ावा मास्टर प्लान

(2010—2031)

(राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत तैयार किया गया)

आवास विकास लिमिटेड, जयपुर आई.ऐ.डी. स्टूडियो, गुडगाँव

कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा

नगर नियोजन विभाग

राजस्थान सरकार


आभार

मैं, पिड़ावा नगर के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के क्रम में पिड़ावा के विशिष्ट जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों तथा नगरीय विकास को क्रियान्वित करने में सहयोग देने वाले उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने झालावाड़ जिले के महत्वपूर्ण व्यवसायिक नगर पिड़ावा के विकास कार्यों के साथ साथ नगर के मास्टर प्लान को तैयार करने में अमूल्य समय देकर समय समय पर निरन्तर सहयोग प्रदान किया।

मैं, अध्यक्ष, नगर पालिका, पिड़ावा का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में समय समय पर निरन्तर सहयोग प्रदान किया।

पिड़ावा नगर के लिए सरकार की अधिसूचना दिनांक 20/07/2010 के अनुसरण में आई. ए. डी स्टूडियो, गुड़गांव द्वारा क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार किया गया। दिनांक 08/03/2011 को प्रारूप मास्टर प्लान का प्रकाशन कर दिनांक 08/03/2011 से 06/04/2011 तक आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये। प्राप्त आपत्ति सुझावों का विश्लेषण कर मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दिया गया। मास्टर प्लान तैयार करने में विभिन्न स्तरों पर एकत्रित हुए सभी वांछित सर्वेक्षणों तथा सूचनाओं को संकलित करना आवश्यक होता है। विभिन्न सर्वेक्षणों एवं अध्ययनों के लिए कई राजकीय विभागों, नगर पालिका एवं अन्य संस्थानों से सम्पर्क किया गया। इस विशेष कार्य में विभिन्न संबंधित सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर विद्युत वितरण निगम, उद्योग, चिकित्सा, जल-प्रदाय एवं शिक्षा इत्यादि विभागों तथा अन्य निजी संस्थाओं ने अपना सतत् सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सभी विभागों एवं पिड़ावा, नगर पालिका को अपना हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, साथ ही नगर नियोजन विभाग के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में सहायता की, की भी प्रशंसा करता हूँ।

अन्त में, मैं सभी नागरिकों से आशा करता हूँ कि भविष्य में इस कस्बे को, मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप सुनियोजित ढंग से विकसित करने में अपना सहयोग देते रहेंगे।



(वी. के. दलेला)

वरिष्ठ नगर नियोजक
कोटा जोन, कोटा

प्रस्तावना


पिड़ावा नगर उपखण्ड मुख्यालय के साथ-साथ इस क्षेत्र का एक प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र के रूप में महत्वपूर्ण नगर है। यह नगर राजस्थान के दक्षिणी-पूर्वी दिशा में झालावाड़ जिले में राज्य राजमार्ग 19 ए पर स्थित है।

पिड़ावा की जनसंख्या वर्ष 1971 में 7277 थी, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 11185 हो गई। नगर के अनियंत्रित विकास ने अन्य नगरों की भांति अनेक नगरीय समस्याओं को जन्म दिया है, जिनमें अपर्याप्त आवासन, उत्तरोत्तर बढ़ता यातायात, अनियोजित तथ अपर्याप्त वाणिज्यिक केन्द्रों का विकास तथा मूलभूत एवं सामुदायिक सुविधाओं का अभाव आदि प्रमुख हैं। अतः यह आवश्यक समझा गया कि इन नगरीय समस्याओं पर समय रहते नियंत्रण एवं भविष्य में नियोजित नगरीय विकास के साथ-साथ आम जनता को आवास हेतु बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने हेतु एक योजना बनाई जावे, जिसके तहत सुनिश्चित एवं समग्र विकास के द्वारा उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है।

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.07.10 के अनुसरण में वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा के निर्देशन में आई. ऐ. डी. स्टूडियो, गुडगाँव द्वारा पिड़ावा का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण के पश्चात् नगर का प्रारूप मास्टर प्लान तैयार किया गया है। नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 5(1) के मास्टर प्रावधानों के अन्तर्गत 30 दिवस की समयावधि में आम जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु मास्टर प्लान का प्रारूप दिनांक 08.03.11 को प्रकाशित किया गया। मास्टर प्लान के प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के आशय की अधिसूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई। मास्टर प्लान के प्रारूप की प्रतियां सम्बन्धित विभागों, जनप्रतिनिधियों, नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं, ग्राम पंचायतों को भी आपत्ति/सुझाव के लिए भेजी गयी।

पिड़ावा मास्टर प्लान के प्रारूप पर कुल 179 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुये। जिनके अन्तर्गत कुल 261 बिन्दुओं पर आपत्ति/सुझाव दर्ज किये गये। सभी आपत्ति/सुझाव का विस्तृत अध्ययन विश्लेषण एवं स्थल निरीक्षण कर जाँच के उपरोक्त 01 आपत्ति/सुझाव स्वीकृत योग्य, शून्य आपत्ति/सुझाव आंशिक स्वीकृत योग्य, 184 आपत्ति/सुझाव अस्वीकृत योग्य तथा 76 आपत्ति/सुझाव में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होना पाया गया है।

इस प्रकार पिड़ावा मास्टर प्लान एवं नगरीय क्षेत्र मानचित्र, भू-उपयोग मानचित्र में स्वीकृत आपत्ति/सुझाव के मद्देनजर वांछित परिवर्तन करते हुये मास्टर प्लान अन्तिम रूप से तैयार कर राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित है।



(वी. के. दलेला)

वरिष्ठ नगर नियोजक
कोटा जोन, कोटा।

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 6 की उप धारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक प-10 (133) नविवि /3/2010 दिनांक 16/4/2012 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। (परिशिष्ट-5)

योजना—दल

कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा

1. श्री आर. एल. टुकलिया : वरिष्ठ नगर नियोजक (दि. 22.07.11 तक)
2. श्री विनय कुमार दलेला : वरिष्ठ नगर नियोजक
कोटा जोन, कोटा
3. श्री महेश चन्द गुप्ता : सहायक नगर नियोजक (दि. 31.08.11 तक)
4. श्री संजीव पारीक : जिला नगर नियोजक, झालावाड़
5. श्री चैतन्य कुमार गौतम : सहायक अभियन्ता
6. श्री ओमप्रकाश शर्मा : कनिष्ठ अभियन्ता
7. श्री गोपाल कृष्ण जैन : वरिष्ठ प्रारूपकार
8. श्री शिव शंकर शर्मा : कनिष्ठ प्रारूपकार
9. श्री शिव प्रकाश नामा : निजी सहायक
10. श्री प्यारा सिंह : शीघ्रलिपिक

आइ. ऐ. डी. स्टूडियो, गुडगाँव

1. श्री पुनीत सेठी : चीफ कन्सलटेन्ट
2. श्री विपिन कुमार : चीफ कन्सलटेन्ट
3. श्री विशाल अग्रवाल : अर्बन प्लानर
4. श्री आलोक बन्सल : प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट
5. श्री दीपक महोपात्र : प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट
6. श्री अखिल गुप्ता : प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट

विषय-सूची

अध्याय क्रम	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
	आभार	i
	प्रस्तावना	ii
	योजना दल	iii
	विषय सूची	iv
	तालिका सूची	vii
1.0	परिचय	1
2.0	विद्यमान विषेषताएं	4
2.1	भौगोलिक स्वरूप एवं जलवायु	4
2.2	क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य	4
2.3	ऐतिहासिक	4
2.4	जनांकिकी	5
2.5	व्यावसायिक संरचना	6
2.6	विद्यमान भू-उपयोग	7
2.6(1)	आवासीय	9
2.6(1)अ	आवासन	9
2.6(1)ब	कच्ची बस्तियां	10
2.6(2)	वाणिज्यिक	10
2.6(3)	औद्योगिक	10
2.6(4)	राजकीय	10
2.6(5)	आमोद-प्रमोद	11
2.6(6)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	11
2.6(6)अ	शैक्षणिक सुविधाएं	11
2.6(6)ब	चिकित्सा सुविधाएं	12
2.6(6)स	सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल	12
2.6(6)द	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	12
2.6(6)य	जनोपयोगी सुविधाएं	12
2.6(6)य (i)	जलापूर्ति	12

	2.6(6)य (ii) जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन	13
	2.6(6)य (iii) विद्युत आपूर्ति	13
	2.6(6)य (iv) श्मशान एवं कब्रिस्तान	14
2.6 (7)	परिसंचरण	14
	2.6(7) (अ) यातायात व्यवस्था	14
	2.6(7) (ब) बस एवं ट्रक टर्मिनल	14
3.0	नियोजन की संकल्पना	15
3.1	नियोजन की नीतियां	16
3.2	नियोजन के सिद्धान्त	16
4.0	भावी आकार	19
4.1	जनांकिकी	19
4.2	व्यावसायिक संरचना	19
4.3	नगरीय क्षेत्र	21
4.4	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	21
4.5	योजना क्षेत्र	22
	(अ) दक्षिणी योजना क्षेत्र	22
	(ब) उत्तरी योजना क्षेत्र	23
	(स) परिधि नियंत्रण पट्टी	23
5.0	भू-उपयोग योजना	24
5.1	आवासीय	25
5.2	वाणिज्यिक	26
	5.2(1) शहरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक स्थल	27
	5.2(2) सामुदायिक केन्द्र	27
	5.2(3) थोक व्यापार	27
	5.2(4) गोदाम एवं भण्डारण	28
5.3	औद्योगिक	28
5.4	सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय	28
5.5	आमोद-प्रमोद	29
	5.5(1) उद्यान, खुले स्थल, खेल मैदान एवं स्टेडियम	29
	5.5(2) अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजन	30
	5.5(3) मेले/पर्यटन सुविधाएं	30
5.6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	30
	5.6(1) शैक्षणिक सुविधाएं	30

5.6(2)	चिकित्सा सुविधाएं	31
5.6(3)	सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल	32
5.6(4)	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	32
5.6(5)	जनोपयोगी सुविधाएं	32
5.6(5)अ	जलापूर्ति	33
5.6(5)ब	जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन	33
5.6(5)स	विद्युत आपूर्ति	34
5.6(5)द	श्मशान एवं कब्रिस्तान	34
5.7	परिसंचरण	34
5.7(1)	प्रस्तावित यातायात संरचना	34
5.7(1)अ	सड़कों को चौड़ा करना एवं उनका सुधार	36
5.7(1)ब	प्रस्तावित चौराहा एवं चौराहा सुधार	37
5.7(1)स	पार्किंग व्यवस्था	37
5.7(2)	बस एवं ट्रक टर्मिनल	37
5.8	परिधि नियंत्रण पट्टी	37
5.9	ग्रामीण आबादी क्षेत्र	38
6.0	मास्टर प्लान का क्रियान्वयन	39
6.1	वर्तमान आधार	39
6.2	प्रस्तावित आधार	39
6.3	जन सहभागिता एवं जन सहयोग	41
6.4	भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति	41
6.5	योजना का क्रियान्वयन	41
6.6	उपसंहार	42
परिषिष्ट		
1.	राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (मास्टर प्लान)	43
2.	राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण	45
3.	नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना दिनांक 20.07.2010	47
4.	प्रारूप मास्टर प्लान प्रकाशन की अधिसूचना दिनांक 08.03.2011	48
5.	राजकीय अधिसूचना दिनांक 16.4.2012	49

तालिका सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, पिड़ावा – 1971–2010	6
2.	व्यावसायिक संरचना, पिड़ावा – 1991–2010	6
3.	विद्यमान भू-उपयोग, पिड़ावा – 2010	8
4.	शैक्षणिक संरचना, पिड़ावा – 2010	11
5.	चिकित्सा सुविधाएं, पिड़ावा – 2010	12
6.	जलापूर्ति, पिड़ावा –2010	13
7.	विद्युत आपूर्ति, पिड़ावा – 2010	13
8.	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान, पिड़ावा – 1971–2031	19
9.	अनुमानित व्यावसायिक संरचना, पिड़ावा – 2001–2031	20
10.	योजना क्षेत्र, पिड़ावा – 2031	22
11.	प्रस्तावित भू-उपयोग, पिड़ावा – 2031	25
12.	प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, पिड़ावा – 2031	27
13.	अनुमानित शैक्षणिक संरचना, पिड़ावा – 2031	31
14.	विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित मानक चौड़ाई, पिड़ावा– 2031	35
15.	विद्यमान एवं प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार, पिड़ावा – 2031	35

परिचय

पिड़ावा कस्बा राजस्थान में झालावाड़ जिले के दक्षिणी दिशा में तथा मध्यप्रदेश सीमा के समीप स्थित है। यहां उपखण्ड मुख्यालय है। यह कस्बा झालावाड़ जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर तथा संभागीय आयुक्त मुख्यालय, कोटा से 152 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।

पिड़ावा मालवा के पठार पर बसा हुआ है। यहां की अधिकांश जनसंख्या कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य पर निर्भर है। पिड़ावा में प्रशासनिक दृष्टि से उप खण्ड अधिकारी एवं तहसील मुख्यालय है। यहां पर नगर पालिका, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सार्वजनिक निर्माण विभाग, दूरदर्शन रिले केन्द्र, पुलिस स्टेशन आदि कार्यालय हैं। शिक्षा की दृष्टि से यह नगर महत्वपूर्ण है यहां आस-पास के क्षेत्रों के विद्यार्थी अध्ययन हेतु आते हैं। यहां पर प्राथमिक स्तर से सीनियर सैकण्डरी स्तर तक के आठ विद्यालय हैं तथा तकनीकी/उच्च शिक्षा हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय संचालित हैं। धार्मिक दृष्टि से यहां रानी अहिल्या बाई द्वारा निर्मित सूर्य मन्दिर (सूरज कुण्ड), सांवलिया पार्श्वनाथ मन्दिर तथा ओडी वाले बाबा की मजार आदि हैं। यह नगर वर्तमान में तीव्र गति से विकसित हो रहा है।

वर्ष 1971 में यहां की जनसंख्या मात्र 7,277 थी, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 11,185 हो गई। 1991-2001 के दशक में सर्वाधिक वृद्धि दर 16.58 प्रतिशत आंकी गई। इस दशक के दौरान कस्बे की जनसंख्या वृद्धि दर औसत ही रही है। फिर भी नगर में कई नगरीय समस्याएं आ रही हैं। भविष्य में इस नगर की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने का अनुमान है। पुरानी बस्तियों में तंग सड़कें, अव्यवस्थित जंक्शन, अनियोजित एवं अव्यवस्थित आवास व वाणिज्यिक स्थलों के विकास के साथ इन क्षेत्रों में आधारभूत जन-सुविधाओं का अभाव होने के कारण यहां अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। शहर के बाहरी क्षेत्र में कृषि भूमि पर छितराए रूप में आवासीय विस्तार हो रहा है। इनमें भी मूलतः जन सुविधाओं का नितान्त अभाव है एवं जल मल की निकासी एवं जलप्रवाह प्रणाली भी दोषपूर्ण है। जिसके कारण आम जनता के सामान्य जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए यह अति आवश्यक है कि कस्बे के लिए एक ऐसी योजना बनायी जाए, जिसमें वर्तमान समस्याओं का समाधान होने के साथ ही युक्ति युक्त रूप से भावी विकास हो सके। इस दृष्टिकोण से कस्बे के लिए एक मास्टर प्लान का बनाया जाना आवश्यक है।


इस मन्तव्य से ही राज्य सरकार ने पिड़ावा का मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक प.10(133) न.वि.आ./3/2010 जयपुर, दिनांक 20 जुलाई, 2010 को एक अधिसूचना जारी कर पिड़ावा राजस्व ग्राम सहित 9 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए पिड़ावा नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा को अधिकृत किया गया है (परिशिष्ट-3)। इसी क्रम में राज्य सरकार ने आवास विकास लिमिटेड, जयपुर के माध्यम से पिड़ावा का मास्टर प्लान बनाने के लिये आई.ए.डी. स्टूडियो, गुडगाँव को कार्यादेश दिया।

मास्टर प्लान बनाने के लिये आई.ए.डी. स्टूडियो, गुडगाँव द्वारा भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, जन सुविधाओं आदि से सम्बन्धित विभिन्न सर्वेक्षण, इन सर्वेक्षणों एवं आंकड़ों का विवेचन तथा मास्टर प्लान के लिए योजना सिद्धान्तों सहित नीतियों का निर्धारण किया गया। मास्टर प्लान का क्षितिज वर्ष 2031 तक की नगर की विभिन्न आवश्यकताओं के मानक स्तरों को दृष्टिगत रखते हुए अनुमान, स्थल निर्धारण आदि किया गया तथा इन सब अध्ययनों के आधार पर पिड़ावा कस्बे के मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार किया गया।

कस्बे के भावी विकास के निर्देशन हेतु यह मास्टर प्लान तैयार किया गया है जिससे यहां के नागरिकों को स्वस्थ एवं आनन्दमय जीवन का वातावरण प्राप्त हो सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि नगर के नागरिकों को इसे समझने का पर्याप्त अवसर मिले। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5 के प्रावधानों के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशित की गई तथा दिनांक 08.03.2011 से 06.04.2011 तक 30 दिवस की अवधि में जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु जनता के अवलोकनार्थ मास्टर प्लान से सम्बन्धित मानचित्रों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गयी। पिड़ावा के प्रारूप मास्टर प्लान की प्रतियाँ सम्बन्धित विभागों एवं जन प्रतिनिधियों से भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के लिए भेजी गयी। मास्टर प्लान के सम्बन्ध में अधिसूचना स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की गयी।

पिड़ावा मास्टर प्लान के प्रारूप पर 179 आपत्तियाँ/सुझाव पत्र प्राप्त हुये, जिनमें मास्टर प्लान प्रारूप के 261 बिन्दुओं पर आपत्ति/सुझाव प्रेषित किये गये। प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों का मौका निरीक्षण किया गया तथा इन पर विचार विमर्श करने के पश्चात 01 आपत्ति/सुझाव स्वीकृत किये गये, शून्य आपत्ति/सुझाव आंशिक स्वीकृत, 184 अस्वीकृत योग्य थे व 76 आपत्ति/सुझाव पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं पायी गयी। स्वीकृत संशोधनों के अतिरिक्त मौके की स्थिति के फलस्वरूप अन्य संशोधनों की समाहित करते हुए तदनुसार मास्टर प्लान पिड़ावा को अन्तिम रूप दिया गया। अतः मास्टर प्लान, पिड़ावा के अन्तिम

रूप से तैयार कर राज्य सरकार के पास राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 6(1) के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।



(वी. के. दलेला)

वरिष्ठ नगर नियोजक
कोटा जोन, कोटा

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 6 की उप धारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक प.10(133) नविवि/3/2010, दिनांक 16.04.2012 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। (परिशिष्ट-5)

विद्यमान विशेषताएं

पिड़ावा कस्बा राजस्थान में जिला झालावाड के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह कस्बा सुनेल मार्ग से राज्य राजमार्ग 19 ए पर झालावाड से 65 किमी. की दूरी पर चँवली नदी के उत्तरी भाग पर स्थित है। प्रशासनिक दृष्टि से यह कस्बा झालावाड जिले का उपखण्ड मुख्यालय है। कस्बे के आसपास का क्षेत्र कृषि प्रधान है। समतल, धरातल एवं प्राकृतिक सौन्दर्य से सुसज्जित यह कस्बा उत्तर-पश्चिम में सुनेल, भवानीमंडी एवं पश्चिम में कोटडी से भली-भांति सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है। पूर्व दिशा में यह मध्यप्रदेश के सोयतकलाँ से सम्पर्कित है।

2.1 भौगोलिक स्वरूप एवं जलवायु :-

यह कस्बा 24⁰09' उत्तरी अक्षांश और 75⁰01' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। कस्बे के आसपास की समतल भूमि खेती के लिए उपयुक्त है। उक्त नगर के दक्षिण-पूर्व में चँवली नदी स्थित है, जो सिंचाई हेतु काम में आती है, किन्तु वर्तमान में वर्षा की कमी से नदी सूखी हुई है। यह नदी दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर बहती है। पिड़ावा का प्राचीन किला आबादी में स्थित है। यह कस्बा मालवा के पठार पर बसा हुआ है। कस्बे का दक्षिणी भाग प्राकृतिक छोटी-छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है।

इस कस्बे की जलवायु सामान्यतः शुष्क है। ग्रीष्म ऋतु में यहां का अधिकतम औसतन तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस तथा शीत ऋतु में न्यूनतम औसतन तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहां का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

2.2 क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य :-

पिड़ावा कस्बा झालावाड जिले के महत्वपूर्ण कस्बों में से एक रहा है। वर्तमान में यहां उपखण्ड मुख्यालय स्थित है। अपनी सहायक नदियों के साथ इस कस्बे की मुख्य जलधारा चँवली नदी है। इस कस्बे के आसपास का धरातल समतल होने के कारण यह नगर कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है। यहां की मुख्य पैदावार गेहूं, मक्का आदि हैं। कस्बे के आसपास सन्तरे की भी खेती होती है। इस नगर में कृषि उपजों पर आधारित व्यवसाय है। इन कृषि उपजों से आस पास के क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यह कस्बा इस क्षेत्र का व्यावसायिक दृष्टि से भी मुख्य केन्द्र है।

2.3 ऐतिहासिक :-

पिड़ावा नगर राजस्थान के पूर्वी-दक्षिणी छोर का अंतिम नगर है जो मालवा अंचल में बसा हुआ है। रियासत कालीन समय में यह नगर इन्दौर स्टेट के महाराजा होल्कर के अधीन था जिसको बाद में टोंक स्टेट में शामिल किया

गया था। नगर के समीप से चँवली नदी निकली हुई है। यह नदी रायपुर ग्राम के समीप आकर कालीसिन्ध नदी में मिलती है। हिम्मतगढ़ ग्राम के पास इस नदी पर स्टॉप डेम बना हुआ है जिससे पिड़ावा नगर सहित करीब 63 गाँवों को पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है।

पिड़ावा नगर में महाराजा होल्कर की बहिन रानी अहिल्या बाई द्वारा पत्थरों से एक सूर्य मन्दिर का निर्माण करवाया गया था। इसमें भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित है। इसे सूरज कुण्ड के नाम से जाना जाता है। नगर की पूर्व दिशा में चँवली नदी के तट पर एक पुराना मठ बना हुआ है जहाँ पर एक पुरानी गुफा है। यह कहा जाता है कि यह गुफा मध्यप्रदेश के धार्मिक नगर उज्जैन में निकलती थी जो वर्तमान में बन्द हो चुकी है। पिड़ावा में अधिकतर मालवा (हिन्दी) भाषा का प्रयोग किया जाता है।

दन्त कथाओं के अनुसार इस कस्बे में मालवा पठार के आसपास के गाँवों में आने जाने वाले यात्रियों का पड़ाव हुआ करता था। इसी 'पड़ाव' शब्द से इस कस्बे का नाम पिड़ावा पड़ गया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व तक यह कस्बा पुरानी आबादी के रूप में चँवली नदी के उत्तरी तट पर विकसित था। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् कस्बे का विकास उत्तर-पश्चिम दिशा में सुनेल एवं कोटडी मार्ग पर होने लगा है। यहाँ पर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं कई राजकीय कार्यालयों के भवनों का निर्माण हुआ। साथ ही यहाँ नगरपालिका एवं अन्य अर्द्ध राजकीय कार्यालयों की स्थापना हुई तथा जल प्रदाय योजना एवं विद्युतीकरण योजना लागू की गई। नगर पालिका की वर्ष 1974 में स्थापना हुई। इससे पूर्व यह नगर पिड़ावा ग्राम पंचायत के रूप में रहा था।

2.4 जनांकिकी :-

वर्ष 1971 में यहाँ की जनसंख्या मात्र 7,277 थी। जो बढ़कर वर्ष 1981 में 8,263 हो गई। इस दशक में वृद्धिदर 13.55 प्रतिशत रही। वर्ष 1991 में कस्बे की जनसंख्या 9,594 दर्ज की गई। इस प्रकार वर्ष 1981-91 के दशक में वृद्धि दर 16.11 प्रतिशत रही है। जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी का कारण इस दशक में कस्बे का ग्राम पंचायत से नगरपालिका में क्रमोन्नत होना तथा चार अतिरिक्त गाँवों को मिलाकर नगरपालिका क्षेत्र का गठन होना है। वर्ष 2001 में जनसंख्या 11,185 हो गई जिसकी वृद्धि दर 16.58 प्रतिशत दर्ज की गई। वर्तमान में उक्त नगर की जनसंख्या लगभग 14,000 होने का अनुमान है।

पिड़ावा कस्बे की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को तालिका संख्या-1 में दर्शाया गया है:-

तालिका संख्या – 1
जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, पिड़ावा– 1971–2010

वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि	वृद्धि दर प्रतिशत
1971	7,277	—	—
1981	8,263	986	13.55
1991	9,594	1331	16.11
2001	11,185	1591	16.58
2010*	14,000*	2815	25.17

स्रोत : जनगणना, भारत सरकार एवं *अनुमान।


2.5 व्यावसायिक संरचना :-

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पिड़ावा कस्बे में कार्यशील जनसंख्या का सहभागिता अनुपात 31.81 प्रतिशत तथा 2010 में 34.41 प्रतिशत रहा है। तालिका-2 में वर्ष 1991 से 2010 की व्यावसायिक संरचना को दर्शाया गया है जिसके तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उक्त नगर में अधिकांशतः कार्यशील जनसंख्या कृषि एवं वाणिज्य से सम्बन्धित गतिविधियों में कार्यरत हैं। अतः पिड़ावा अपने पश्च क्षेत्र (Hinterland) का प्रमुख वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक केन्द्र है तथा इसका आर्थिक आधार कृषि, व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियां है। पिड़ावा कस्बे के अर्न्तगत वर्ष 2010 में अन्य सेवाओं में 950 व्यक्ति कार्यरत हैं, जो कि कुल काम करने वालों का 19.72 प्रतिशत है। जबकि वर्ष 2001 में यह 17.45 प्रतिशत था। पिड़ावा में वाणिज्य एवं व्यापार में काम करने वालों की संख्या वर्ष 2001 में 1,089 थी, वहीं यह संख्या वर्ष 2010 में 1,520 हो गई, जो कुल कामगारों का 31.55 प्रतिशत है। सर्वाधिक कामगारों का प्रतिशत व्यापार एवं वाणिज्य, कृषि एवं अन्य सेवाएं क्षेत्र से सम्बन्धित गतिविधियों में रहा है।


तालिका संख्या – 2
व्यावसायिक संरचना, पिड़ावा – 1991–2010

क्र. सं.	व्यवसाय	1991		2001		2010*	
		कार्यरत व्यक्ति	प्रतिशत	कार्यरत व्यक्ति	प्रतिशत	कार्यरत व्यक्ति	प्रतिशत
1	कृषि एवं खनन सम्बन्धित क्रियाएं	1311	46.29	1152	32.38	1308	27.14
2	उद्योग	236	8.33	236	6.63	340	7.06
3	निर्माण	64	2.26	109	3.06	200	4.15
4	व्यापार एवं वाणिज्य	544	19.21	1089	30.61	1520	31.55
5	यातायात एवं संचार	81	2.86	351	9.87	500	10.38
6	अन्य सेवाएं	596	21.05	621	17.45	950	19.72
	योग	2832	100.00	3558	100.00	4818	100.00
	सहभागिता अनुपात	29.52 %		31.81 %		34.41%	

स्रोत : जनगणना, भारत सरकार एवं *अनुमान।



OCCUPATIONAL STRUCTURE – WORKING PERSON 2001



OCCUPATIONAL STRUCTURE – WORKING PERSON 2010

2.6 विद्यमान भू-उपयोग :-

पिड़ावा नगरपालिका सीमा का कुल क्षेत्रफल 1729 एकड़ है, जिसमें से 190 एकड़ नगरीयकृत क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। उपरोक्त नगरीयकृत क्षेत्र में से 167 एकड़ ही वास्तविक रूप से विकसित क्षेत्र है और शेष क्षेत्र रिक्त भूमि एवं जलाशय के रूप में है। कस्बे में नगरपालिका द्वारा विकसित कॉलोनियों को छोड़कर अधिकांश विकास अनियोजित है। पुराना कस्बा उच्च घनत्व वाला,



अव्यवस्थित एवं सर्पाकार तंग गलियों के साथ बसा हुआ है, जहां “खुले स्थानों” का अभाव है। बाहरी क्षेत्र कम घनत्व वाले हैं। वाणिज्यिक गतिविधियां मुख्य सड़कों के सहारे-सहारे चल रही हैं, जहां पार्किंग व्यवस्था नहीं है। कस्बे में आवासीय एवं वाणिज्यिक विकास हो रहा है, लेकिन वांछित योजना मानदण्डों के आनुपातिक दृष्टि से सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक तथा आमोद-प्रमोद की सुविधाओं का विकास एवं विस्तार नहीं होने के फलस्वरूप ये सुविधाएं अपर्याप्त हैं। कस्बे में नालियां खुली होने के कारण वर्षा ऋतु का पानी प्रायः सड़कों पर एकत्रित हो जाता है।

वर्तमान में कस्बे के कुल विकसित क्षेत्र का 57.48 प्रतिशत आवासीय व 7.78 प्रतिशत का वाणिज्यिक उपयोग हो रहा है। उपखण्ड एवं तहसील मुख्यालय होने के कारण सरकारी एवं अर्द्धसरकारी तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के अन्तर्गत भू-उपयोग क्रमशः 4.19 प्रतिशत व 15.57 प्रतिशत है। सड़कों के कम चौड़ी तथा संकड़ी होने के कारण परिसंचरण में मात्र 7.20 प्रतिशत भूमि का उपयोग हो रहा है। तालिका संख्या-3 में विद्यमान भू-उपयोग वर्ष 2010 दर्शाया गया है:-

तालिका संख्या – 3
विद्यमान भू-उपयोग, पिड़ावा- 2010

क्र. सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकृत क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	96	57.48	50.52
2.	वाणिज्यिक	13	7.78	6.84
3.	औद्योगिक	5	2.99	2.63
4.	राजकीय	7	4.19	3.68
5.	आमोद-प्रमोद	8	4.79	4.21
6.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	26	15.57	13.69
7.	परिसंचरण	12	7.20	6.32
	कुल विकसित क्षेत्र	167	100.00	87.89
8.	रिक्त भूमि	11	—	5.79
9.	कृषि एवं जलाशया	12	—	6.32
	कुलनगरीयकृत क्षेत्र	190	—	100.00

स्रोत : भौतिक सर्वेक्षण।



EXISTING LAND USE OF URBANISED AREA

2.6(1) आवासीय :-

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार कस्बे की कुल जनसंख्या 8,263 थी, जो बढ़कर वर्ष 2001 में 11,185 एवं 2010 में 14,000 हो गई। पुरानी आबादी (शहर) का आवासीय घनत्व औसतन 103 व्यक्ति प्रति एकड़ है। कहीं-कहीं यह घनत्व इससे भी अधिक है। वर्तमान में कुल 167 एकड़ समग्र विकसित क्षेत्र के भू-भाग में से 96 एकड़ भूमि आवासीय उपयोग में आ रही है, जो विकसित क्षेत्र का 57.48 प्रतिशत है। इस प्रकार वर्ष 2010 की जनसंख्या के अनुसार कस्बे का घनत्व लगभग 74 व्यक्ति प्रति एकड़ है। कस्बे में नवीन योजनाओं का विकास नहीं होने के कारण पुरानी आबादी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

2.6(1)अ आवासन :-

पिड़ावा कस्बे की पुरानी बस्ती में अधिकांश मकानात पक्के बने हुए हैं, जो दो मंजिल तक के हैं। बाजार एवं इसके आसपास के मकान एक अथवा दो मंजिल के भी बने हुए हैं। नगर में मुख्य आवासीय क्षेत्र कोटड़ी-सोयतकलाँ के दक्षिण में तथा चँवली नदी के पश्चिम में स्थित है।

पुराने कस्बे के अधिकांश मकान बहुत छोटे भूखण्डों पर बने हुए हैं, तंग एवं संकड़ी गलियां हैं तथा खुले स्थलों का अभाव है। पुराने कस्बे के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक कार्यालय के आगमन से कस्बे का तीव्र गति से पश्चिमी, उत्तरी एवं पूर्वी भाग में विकास होना प्रारम्भ हो गया, जिसमें नई आवासीय कॉलोनियों का विकास हुआ है।

2.6(1)ब कच्ची बस्तियां :-

नगरपालिका क्षेत्र में कोई कच्ची बस्तियां अधिघोषित नहीं हैं। फिर भी नगर के चारों ओर अनियमित एवं बिखरे रूप में आवासीय क्षेत्र निर्मित होने लगे हैं। कृषि भूमि पर भी कच्ची बस्ती के रूप में निर्माण है। अन्य क्षेत्रों में बाड़े आदि बने हुए हैं, जिसमें छितरे निर्माण है।

2.6(2) वाणिज्यिक :-

पिड़ावा कस्बा उपखण्ड मुख्यालय होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्र का मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् ही यहां पर व्यवस्थित कृषि आधारित आर्थिक विकास के कारण वाणिज्यिक गतिविधियां तेजी से विकसित हुई हैं। पुराना आबादी क्षेत्र ही यहां का मुख्य वाणिज्यिक गतिविधियों का केन्द्र है तथा अधिकांशतः यहां पर फुटकर व थोक व्यापार होता है। यहां के बाजारों में आजाद चौक, बस स्टैण्ड, सुभाष चौक, नयापुरा, विडियो चौराहा, पट्टी मार्केट, माता चौकी आदि मुख्य हैं। वर्तमान में कस्बे के कुल विकसित क्षेत्र की 13 एकड़ भूमि वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत आ रही है। जो कुल विकसित क्षेत्र का 7.78 प्रतिशत है। कृषि उपज मण्डी सोयतकलाँ मार्ग पर स्थित है। वर्तमान समय में सब्जी मण्डी, थोक व्यापार, मीट मार्केट, लकड़ी एवं निर्माण सामग्री, लोहा मार्केट व्यवसाय आदि की कोई नियोजित व्यवस्था नहीं है।

2.6(3) औद्योगिक :-

औद्योगिक दृष्टि से कस्बे में कोई विकास नहीं हुआ है। कस्बे के मात्र 7 प्रतिशत लोग औद्योगिक कार्यों में लगे हुए हैं। नगर में कोई लघु एवं मध्यम स्तर की औद्योगिक ईकाई स्थापित नहीं है। रिको द्वारा भी कोई औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं किया गया है। नगर में औद्योगिक श्रमिक है परन्तु वे घरेलु उद्योग में ही कार्यरत हैं। इस प्रकार नगर में लगभग 5 एकड़ भूमि कुटीर उद्योग के रूप में उपयोग में ली जा रही है। जो कुल विकसित क्षेत्र का 2.99 प्रतिशत है।

2.6(4) राजकीय :-

यह नगर उपखण्ड मुख्यालय होने से राजकीय एवं अन्य सम्बन्धित क्रियाकलापों ने नगर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 2010 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार पिड़ावा में 17 सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय हैं। उनमें से 11 राज्य सरकार के एवं 6 अर्द्ध-राजकीय कार्यालय संचालित हैं, जिनमें उपखण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,

सार्वजनिक निर्माण विभाग, तहसील कार्यालय आदि हैं। वर्तमान में इन कार्यालयों के उपयोग में 7 एकड़ भूमि है जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 4.19 प्रतिशत है।

2.6(5) आमोद-प्रमोद :-

पिड़ावा कस्बे में व्यवस्थित उद्यानों का अभाव है। पुरानी आबादी के दक्षिण क्षेत्र में चँवली नदी के तट पर स्थित स्थल "मेला मैदान" के नाम से जाना जाता है, जहां प्रतिवर्ष दषहरे का मेला आयोजित किया जाता है। इसी मैदान में समारोह आदि कार्यक्रम होते हैं। आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत कुल 8.00 एकड़ भूमि का उपयोग किया जा रहा है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 4.79 प्रतिशत है।

2.6(6) सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं :-

सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत शैक्षणिक, चिकित्सा, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य सामुदायिक सुविधाएं सम्मिलित हैं। उक्त प्रयोजनार्थ वर्ष 2010 में 26 एकड़ भूमि उपयोग में आ रही है, जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 15.57 प्रतिशत है।

2.6(6)अ शैक्षणिक सुविधाएं :-

शिक्षा की दृष्टि से कस्बे में 1 प्राथमिक विद्यालय, 5 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 1 उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं 1 सीनियर सैकण्डरी विद्यालय हैं। लगभग सभी विद्यालयों में खेल के मैदान व खुले स्थल का अभाव है। कस्बे में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संचालित है। यह निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थान है। यह कस्बे के साथ-साथ इसके पञ्च क्षेत्र को भी शैक्षणिक सुविधा प्रदान करते हैं। वर्तमान में नगर में उच्च शिक्षा के लिए कोई महाविद्यालय नहीं है। तालिका संख्या-4 में नगर में उपलब्ध शैक्षणिक संरचना को दर्शाया गया है:-

तालिका संख्या - 4
शैक्षणिक संरचना, पिड़ावा - 2010

क्रम सं.	शैक्षणिक स्तर	आयु वर्ग	विद्यालय में जाने योग्य विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या	विद्यालय में कुल पंजीकृत विद्यार्थी	कुल पंजीकृत विद्यार्थियों का प्रतिशत	विद्यालयों की संख्या	विद्यालय में औसत विद्यार्थियों की संख्या
1	प्राथमिक विद्यालय	5-10	312	149	47.83	1	149
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय	11-13	1185	739	62.34	5	147
3	माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय	14-17	1002	695	69.36	2	348
	योग		2499	1583	63.35	8	198

2.6(6)ब चिकित्सा सुविधाएं :-

पिड़ावा कस्बे में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जो बस स्टैण्ड के समीप स्थित है जिसका क्षेत्रफल लगभग 0.65 एकड़ हैं। साथ ही कस्बे में एक आयुर्वेदिक औषधालय एवं एक होम्योपैथिक/यूनानी औषधालय भी हैं। पिड़ावा में कोई भी निजी चिकित्सालय या औषधालय नहीं है। कस्बे की बढ़ती आबादी को देखते हुए एक बड़े अस्पताल की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। इस कस्बे की उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं तालिका संख्या-5 में दर्शायी गई है :-

तालिका संख्या - 5 चिकित्सा सुविधाएं, पिड़ावा - 2010

क्र.सं.		संख्या	उपलब्ध शय्या
1	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	01	50
2	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय	01	-
3	होम्योपैथिक/यूनानी औषधालय	01/01	-

2.6(6)स सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल :-

पिड़ावा कस्बे में कई धार्मिक स्थल हैं, जिनमें रानी अहिल्या बाई द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर (सूरज कुण्ड), सॉवलिया पार्श्वनाथ मंदिर तथा ओडीवाले बाबा की मजार प्रमुख हैं। इसके अलावा कई छोटे-छोटे मन्दिर एवं मस्जिदें भी कस्बे में स्थापित हैं।

2.6(6)द अन्य सामुदायिक सुविधाएं :-

पिड़ावा कस्बे में पुरानी आबादी में बैंक सुविधा उपलब्ध है। कस्बे में एक टेलीफोन एक्सचेंज एवं दूरदर्शन रिले केन्द्र भी संचालित है। दूर संचार विभाग द्वारा 350 टेलीफोन कनेक्शन दिये हुए हैं। पिड़ावा में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, झालावाड़ सहकारी समिति बैंक एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति बैंक की एक-एक शाखा उपलब्ध है। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की एक ए.टी.एम. सुविधा भी यहां उपलब्ध है।

2.6(6)य जनोपयोगी सुविधाएं :-

2.6(6)य (i) जलापूर्ति :-

कस्बे में स्वच्छ पेयजल सुविधा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। कस्बे में पेयजल आपूर्ति के लिए मुख्य स्रोत चवली नदी, कुंआ एवं ट्यूबवैल हैं। कस्बे में पेयजल आपूर्ति हेतु तीन ओवरहेड टैंक हैं। वर्ष 2010 में पिड़ावा के जलापूर्ति कनेक्शनों को तालिका संख्या-6 में दर्शाया गया है :-

तालिका संख्या-6

जलापूर्ति, पिड़ावा – 2010

क्र.सं.	श्रेणी	कनेक्शनों की संख्या
1	आवासीय	1503
2	व्यावसायिक	111
3	राजकीय	21
4	सार्वजनिक एवं अन्य	25
	योग :-	1660

2.6(6)य (ii) जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन :-

पिड़ावा कस्बे में वर्तमान में सीवरेज व ड्रेनेज व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण गंदगी का निस्तारण विद्यमान खुली नालियों द्वारा ही होता है। सेप्टिक टैंक व सोकपिट के साधन कम हैं। अतः कस्बे की खुली नालियों में ही जल-मल की निकासी की जाती है। इससे वातावरण दूषित बना रहने के कारण बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है। नालियों द्वारा बहा कर ले जाया गया दूषित व गन्दा मलवा नदी में पहुंचता है एवं जिसके कारण नदी का पानी प्रदूषित होता है।

2.6(6)य (iii) विद्युत आपूर्ति :-

पिड़ावा कस्बे में विद्युत के रख-रखाव और विद्युत वितरण का कार्य जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा संचालित किया जाता है। विद्युत आपूर्ति कोटा थर्मल पावर प्लान्ट के ग्रिड सब-स्टेशन 33 के.वी. द्वारा प्राप्त होती है। ग्रिड सब-स्टेशन सोयतकलाँ रोड पर स्थित है। इस कस्बे की विद्युत आपूर्ति एवं वितरण को तालिका संख्या-7 में दर्शाया गया है :-

तालिका संख्या – 7

विद्युत आपूर्ति पिड़ावा – 2010

क्र.सं.	उपयोग	कनेक्शनों की संख्या
1	आवासीय	1069
2	व्यावसायिक	181
3	लघु उद्योग	32
4	कृषि	45
5	सड़क विद्युतिकरण	01
6	जलप्रदाय	04
7	एम.आई.पी.	02
8	मिश्रित लोड	08
	योग	1342

2.6(6) य (iv) श्मशान एवं कब्रिस्तान :-

पिड़ावा कस्बे में श्मशान एवं कब्रिस्तान मुख्य रूप से कोटड़ी-सोयतकलाँ सड़क पर स्थित है। श्मशानों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। श्मशान एवं कब्रिस्तान में कुल 11.80 एकड़ भूमि उपयोग में ली जा रही है।

2.7 परिसंचरण :-

पिड़ावा कस्बा भवानी मंडी, झालावाड़ एवं कोटा से सीधा जुड़ा हुआ है। कस्बे के मध्य से राज्य राजमार्ग संख्या-19 ए सुनेल से भवानी मंडी को उत्तर-पश्चिम की ओर जा रहा है। यह मार्ग अत्यधिक व्यस्ततम मार्गों में से एक है जहां आवागमन निरन्तर बना रहता है। पुराने कस्बे की सड़कें संकड़ी तथा टेढ़ी-मेढ़ी हैं, जिन पर अत्यधिक भीड़ रहती है। कस्बे में पार्किंग की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने से वाहनों की पार्किंग छोटी-बड़ी सभी सड़कों पर ही होती है जिससे यातायात में व्यवधान होता है।

2.6(7) (अ) यातायात व्यवस्था:-

इस कस्बे में झालावाड़, भवानी मंडी, सुनेल, सोयतकलाँ एवं कोटा, उज्जैन, इन्दौर, मार्ग पर आवागमन निरन्तर बना रहता है। पिड़ावा से भवानी मंडी मार्ग पर हल्के वाहनों की निरन्तरता बनी रहती है। पिड़ावा शहर में प्रतिदिन आने व जाने वाले वाहनों की औसत संख्या इस प्रकार है -

बाहर से आने वाले वाहन		बाहर जाने वाले वाहन	
हल्के वाहन (दुपहिया)	भारी वाहन (चार पहिया एवं अधिक)	हल्के वाहन (दुपहिया)	भारी वाहन (चार पहिया एवं अधिक)
458	63	486	80

स्रोत : यातायात सर्वेक्षण

2.7(2) (ब) बस एवं ट्रक टर्मिनल:-

नगर में अभी तक कोई नियोजित बस स्टैण्ड विकसित नहीं है। पिड़ावा कस्बे के व्यस्ततम व्यावसायिक क्षेत्र एवं तहसील कार्यालय परिसर के पश्चिम में मुख्य बाजार से लगे हुए चौक को ही बस स्टैण्ड के रूप में काम में लिया जा रहा है। निजी बसों की भी व्यवस्था इसी बस स्टैण्ड पर होने से यह मार्ग कस्बे का अत्यन्त व्यस्ततम एवं भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है। टैक्सी-कारें भी यहीं खड़ी रहती हैं तथा यात्रियों के लिये पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। कस्बे में ट्रक टर्मिनल सुविधा उपलब्ध नहीं है। भारी वाहनों का आवागमन सुनेल मार्ग पर रहता है।

पिड़ावा नगर में कोई रेल सेवा उपलब्ध नहीं है। इस नगर के व्यक्तियों को 40 किलो मीटर दूर भवानी मण्डी में स्थित रेलवे स्टेशन द्वारा रेल सेवा उपलब्ध होती है।

नियोजन की संकल्पना

नगर का विकास एवं उसका अस्तित्व उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ओतप्रोत होता है। वहां के रहने वाले लोगों के क्रियाकलाप, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनितिक आदि गतिविधियों का प्रभाव निरन्तर कस्बे के विकास पर बना रहता है। कस्बे/नगर की संरचना व प्रतिरूप निरन्तर परिवर्तनीय है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कस्बों/नगरों के विकास में काफी बदलाव आया है। पूर्व में जहां एक ओर सुरक्षा की वजह से कस्बे का विकास संघटित (कॉम्पेक्ट) था, वहीं आज यातायात के बढ़ते साधनों से प्रभावित होकर कस्बों में आबादी छितराए रूप में बसने लग गई है। कस्बों में सुविधाओं की उपलब्धता के कारण गांवों से नगरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती जा रही है, फलस्वरूप कस्बों पर दबाव निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

किसी भी समुदाय के लिए भूमि एक प्राथमिक संसाधन है, जो सीमित है अतः भूमि के अधिकतम एवं बेहतर उपयोग तथा उस पर नियन्त्रण के लिए भौतिक नियोजन महत्वपूर्ण है, ताकि समुदाय के लिए उपलब्ध भूमि का अधिकतम उपयोग हो सके। आर्थिक गतिविधियों एवं भू-उपयोग का सामंजस्य वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए नियोजन प्रक्रिया आवश्यक है। भौतिक नियोजन या नगर एवं प्रादेशिक नियोजन एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा कोई भी नगर इसके भावी आकार, स्वरूप, प्रतिरूप एवं विकास आदि के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय करने का प्रयास करती है, और इन निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु समुचित तंत्र की रचना करती है। एक बार यदि प्रत्येक नगर के संबंध में ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय कर लिए जाते हैं तो दिन प्रतिदिन के मसलों पर उचित समाधान हेतु इस सम्पूर्ण ढांचे के सन्दर्भ में विचारकर ऐसे प्रत्येक हल का क्रियान्वयन, नगर की अपने अन्तिम लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाता है।

नियोजन की शब्दावली में इस प्रकार के समग्र ढांचे को मास्टर प्लान की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार मास्टर प्लान भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों और सिद्धान्तों का एक लिखित विवरण है। इसके साथ भू-उपयोग योजना इन नीतियों और सिद्धान्तों को स्थानगत विस्तार के रूप में भाषान्तर करने की विधि है। यह वृहद परिसंचरण व्यवस्था से संबंधित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और कार्यों के वितरण को दर्शाता है। इस दृष्टि से मास्टर प्लान किसी भी नगर के प्रशासन और जनता दोनों के लिए निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रत्येक नगर की अपनी कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें सुरक्षित बनाये रखने की प्रबल जन-आकांक्षा हो सकती है। अतः कतिपय मान्यताएं निर्धारित करके उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा करनी पड़ती है। इन नीतियों एवं उद्देश्यों के सन्दर्भ में नियोजन के सिद्धान्तों को विकसित किया जाता है। इन

उपरोक्त बातों को आधार बनाकर मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। पिड़ावा नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान को बनाने की प्रक्रिया में इन सभी क्रमों की पालना की गई है।

3.1 नियोजन की नीतियां :-

अनुमान है कि आगामी दशकों में पिड़ावा उपखण्ड मुख्यालय अपने पश्च क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण कस्बा होने के फलस्वरूप यह प्रशासन, व्यापार एवं वाणिज्य तथा अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र बना रहेगा।

3.2 नियोजन के सिद्धान्त :-

मास्टर प्लान बनाने के लिये वर्तमान् विशेषताओं एवं उक्त नीतियों के अध्ययन पर आधारित नियोजन के सिद्धान्त बनाये गये हैं-

1. पिड़ावा कस्बे में स्थित रिक्त भूमि पर अतिक्रमण तथा अनियोजित विकास की प्रबल सम्भावना है अतः समुचित एकीकृत विकास करने की दृष्टि से एक समग्र विकास योजना तैयार की जानी चाहिए।
2. नये क्षेत्रों को विकसित करते समय इनके एवं नगर के पुराने क्षेत्रों के बीच भौतिक एवं सामाजिक रूप से उचित तारतम्य होना चाहिए। विभिन्न उपयोगों के लिए भूमि का आवंटन इस प्रकार होना चाहिए कि नगर की विभिन्न गतिविधियों के बीच में अधिक सामान्जस्य स्थापित रहे। पिड़ावा के पुराने क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। आवासीय घनत्व में विषमताओं को कम किया जाना चाहिए। नये आवासीय क्षेत्र एवं कार्यकेन्द्र उचित मूलभूत सुविधाओं के साथ विकसित किये जाने चाहिए, ताकि पुराने क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति बाहरी क्षेत्र में बसने के लिए आकृष्ट हों।
3. पिड़ावा के भीतर स्थित पुराने क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए तथा स्थानीय व क्षेत्रीय मांग को पूरा करने हेतु उपयुक्त स्थलों पर वाणिज्यिक सुविधाओं की पदानुक्रमी पद्धति विकसित की जानी चाहिए। वाणिज्यिक गतिविधियां इस प्रकार वितरित की जानी चाहिए कि शहर के पुराने वाणिज्यिक केन्द्र हेतु प्रतिदित आवागमन की आवश्यकता न पड़े। नये वाणिज्यिक केन्द्र नये आवासीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं हेतु उपयुक्त स्थितियों में विकसित किये जाने चाहिए। इससे नगर के पुराने व्यावसायिक केन्द्रों में भीड़ कम होगी। अनौपचारिक व्यवसाय हेतु योजनाओं में उचित प्रावधान रखा जाना चाहिए, ताकि सड़कों पर थड़ी के रूप में अतिक्रमण कर व्यवसाय करने पर रोक लगे एवं यातायात में सुधार हो।
4. संकड़ी नगरीय सड़कों पर भारी यातायात को कम करने एवं उसे अन्यत्र जोड़ने के लिए पर्याप्त स्थान संधारित करने होंगे। विशिष्ट प्रकार के थोक व्यापार, ट्रांसपोर्ट नगर तथा भण्डारण एवं गोदाम भारी यातायात को बढ़ाते हैं। उनके लिए घनी आबादी से दूर नये क्षेत्रों में पर्याप्त भूमि आरक्षित की जानी चाहिए।

5. नगर के पश्च क्षेत्र के दृष्टिगत नगर में औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं के आधार पर नियोजित रूप में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना चाहिए। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शहर में संगठित गृह उद्योगों की स्थापना हेतु प्रावधान रखा जाना चाहिए जिससे कस्बे के नागरिकों को रोजगार प्राप्त हो सके व सामान्य व्यापार व व्यवसाय में वृद्धि हो। औद्योगिक क्षेत्र जो कि मुख्य कार्यक्षेत्र होते हैं, वायु की दूषण के अनुसार स्थापित किये जाने चाहिए, ताकि वे आस पास की आबादी, जल स्रोतों व पर्यावरण को दूषित न करें।
6. आवासीय घनत्व और स्वीकृत योजना मानदण्डों की पद्धति के अनुरूप संपूर्ण नगरीय क्षेत्र में सामुदायिक सुविधाओं, सार्वजनिक उपयोगिताओं और सेवाओं का विवेक सम्मत वितरण किया जाना चाहिए। सामुदायिक सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं एवं आमोद-प्रमोद की सुविधाओं का विकास शहर में उचित रूप से वितरण करते हुए किया जाना चाहिए। नये आमोद-प्रमोद के स्थानों को विकसित करते समय यथासम्भव सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थलों का चयन किया जाना चाहिए।
7. कस्बे के लिए परिसंचरण प्रतिरूप की एक ऐसी पदानुक्रमी व्यवस्था निश्चित की जाए कि इससे विभिन्न प्रकार की सड़कों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। भू-उपयोग योजना एवं यातायात संरचना एक-दूसरे की पूरक होनी चाहिए। क्षेत्रीय यातायात को स्थानीय यातायात से मिश्रित न होने देने के लिये बाह्य व उप मार्गों का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यमान मुख्य सड़कों के यातायात दबाव को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रस्तावित किये जाएं। कस्बे से निकलने वाले मार्ग एवं राज्य राजमार्ग 19 ए को जोड़ने हेतु एक सुगम एवं सीधा बाईपास मार्ग का प्रावधान रखा जाना चाहिए जिससे विकास को भी सीमाबद्ध किया जा सके एवं दुर्घटना की संभावना से भी बचा जा सके। कस्बे को सड़क जंक्शन पर चौराहे का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
8. कस्बे की परिधि पर किसी प्रकार के अनियोजित विकास को नियंत्रित करने के उद्देश्य से स्थानीय सीमाओं के चारों ओर एक परिधि नियंत्रण पट्टी बनाई जाए। परिधि नियंत्रण पट्टी के अन्दर की ग्रामीण बस्तियों के विकास को नियंत्रित एवं नियोजित किया जाना चाहिए। इस परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र से स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति के साथ, अव्यवस्थित विकास की प्रक्रिया भी रूक सकेगी।
9. पुराने क्षेत्रों में जहां सड़कें संकड़ी हैं एवं यातायात की समस्या है, वहां पर नई निर्माण स्वीकृति देते समय/पुनर्निर्माण की स्वीकृति देते समय पार्किंग का उचित प्रावधान रखा जाना चाहिए। पर्यावरण की दृष्टि से प्रस्तावित बाह्य सड़कों के सहारे 50 फीट चौड़ी पौधारोपण पट्टी का प्रावधान रखा जाना चाहिए। योजनाओं में छोड़े गये उद्यानों के विकास एवं पौधारोपण हेतु गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। सड़कों के किनारे पौधारोपण को

- प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नदी के सहारे जो भूमि विकास योग्य नहीं है, उन पर भी सघन पौधारोपण किया जाना चाहिए।
10. कस्बे में चँवली नदी के दक्षिण-पूर्वी भाग के भू-भाग में पर्यावरण की दृष्टि से कोई भी नगरीय भू-उपयोग हेतु भूमि रूपान्तरण नहीं किया जाना चाहिए। इस भू-भाग को केवल कृषिगत उपयोग में ही काम में लिया जाना चाहिए। इस नदी के दोनों तरफ खुले क्षेत्र के रूप में भूमि रखी जानी चाहिए, जिससे नदी में बाढ़ आने पर मिट्टी का कटाव एवं जनहानि को रोका जा सके।
 11. ऐतिहासिक भवन इमारतें एवं प्राकृतिक संसाधन तालाब नदी, नालों एवं बहाव क्षेत्र का सीमांकन कर इन्हें सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाना चाहिए।
 12. राजकीय और अर्द्ध-राजकीय कार्यालय संगठित परिसरों में इस प्रकार स्थापित किये जाने चाहिए कि उन्हें आवास हेतु समीप ही भूमि उपलब्ध हो और वे मुख्य मार्गों पर स्थित हों।
 13. मास्टर प्लान के अनुरूप पेयजल, जल-मल-निकास, विद्युत एवं परिसंचरण इत्यादि ढाँचागत विकास हेतु विस्तृत योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।
 14. सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र को विभिन्न योजना क्षेत्रों में बांटा जाना चाहिए और प्रत्येक योजना क्षेत्र, आवासीय, व्यावसायिक, कार्यक्षेत्रों, शैक्षणिक, चिकित्सा और अन्य सामुदायिक सुविधाओं की दृष्टि से आत्म निर्भर हों। इसी क्रम में प्रत्येक योजना क्षेत्र के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।

4

भावी आकार

4.1 जनांकिकी :-

वर्ष 1971 में पिड़ावा नगर की जनसंख्या मात्र 7,277 थी, जो वर्ष 1981 में बढ़कर 8,263 हो गई। इस दशक में वृद्धि दर 13.55 प्रतिशत रही। वर्ष 1991 में कस्बे की जनसंख्या 9,594 दर्ज की गई। वर्ष 1981-91 के दशक में वृद्धि दर 16.11 प्रतिशत रही है। वर्ष 2001 में जनसंख्या 11,185 हो गई जिसकी वृद्धि दर 16.58 प्रतिशत दर्ज की गई। आधार वर्ष 2010 में जनसंख्या लगभग 14000 होने का अनुमान किया गया है।

ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस योजना अवधि में पिड़ावा का विकास त्वरित गति से होता रहेगा। क्षितिज वर्ष 2031 तक इस कस्बे की जनसंख्या 25,000 तक पहुंचने का अनुमान है। जनसंख्या वृद्धि के अनुमान लगाते समय दोनों घटक अर्थात् प्राकृतिक वृद्धि एवं अप्रवास को ध्यान में रखा गया है। वर्ष 1971 से 2031 तक के लिए पिड़ावा की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान को तालिका संख्या-8 में दर्शाया गया है:-

तालिका संख्या – 8

जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान, पिड़ावा – 1971-2031

वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि	वृद्धि दर प्रतिशत
1971	7,277	—	—
1981	8,263	986	13.55
1991	9,594	1331	16.11
2001	11,185	1591	16.58
2010*	14000*	2815	25.17
2021*	18500*	4500	32.14
2031*	25000*	6500	35.14

स्रोत : जनगणना, भारत सरकार एवं *अनुमान।

4.2 व्यावसायिक संरचना :-

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पिड़ावा कस्बे में कार्यशील जनसंख्या का सहभागिता अनुपात 31.81 प्रतिशत रहा था तथा 2010 में यह 34.41 प्रतिशत होने का अनुमान किया गया है। पिड़ावा नगर अपने पश्च क्षेत्र (Hinterland) का

प्रमुख वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक केन्द्र है तथा इसका आर्थिक आधार कृषि, व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियां हैं। वर्ष 1991 एवं 2001 की जनगणना के अनुसार पिड़ावा नगर में सर्वाधिक कामगार कृषि एवं उससे सम्बन्धित गतिविधियों में कार्यरत रहे हैं; ऐसा अनुमान किया गया है कि वर्ष 2010 में कुल श्रमिक का 27.15 प्रतिशत भाग उक्त गतिविधियों में ही कार्यरत रहा है। वर्ष 2010 में पिड़ावा में अन्य सेवाओं में 950 व्यक्ति कार्यरत थे, जो कि कुल काम करने वालों का 19.72 प्रतिशत है। जबकि वर्ष 2001 में यह 17.45 प्रतिशत था। पिड़ावा में वाणिज्य एवं व्यापार में काम करने वालों की संख्या वर्ष 2001 में 1,089 थी, वहीं यह संख्या वर्ष 2010 में 1,520 हो गई, जो कुल कामगारों का 31.55 प्रतिशत है। सर्वाधिक कामगारों का प्रतिशत व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्र से सम्बन्धित क्रियाओं में रहा है।

क्षितिज वर्ष 2031 में पिड़ावा नगर की व्यावसायिक संरचना का भविष्य की आर्थिक संभावनाओं और भूतकालीन प्रवृत्तियों के आधार पर आंकलन किया गया है। अतः क्षितिज वर्ष तक कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात 32.35 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। अन्य सेवाओं के विकास और उद्योगों के विकास के सम्मिलित प्रभाव से व्यापार और वाणिज्य इस नगर की महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं बनी रहेंगी। इसके अतिरिक्त पिड़ावा एक प्रशासनिक केन्द्र बना रहेगा, जिससे सेवा क्षेत्र में रोजगार की अच्छी सम्भावनाएं बनी रहेंगी। वर्ष 2031 के लिए अनुमानित व्यावसायिक संरचना को तालिका संख्या-9 में दर्शाया गया है:—

तालिका संख्या -9

अनुमानित व्यावसायिक संरचना, पिड़ावा - 2001 से 2031

क्र. सं.	व्यवसाय	2001		2010*		2031*	
		कार्यरत व्यक्ति	प्रतिशत	कार्यरत व्यक्ति	प्रतिशत	कार्यरत व्यक्ति	प्रतिशत
1	कृषि एवं खनन सम्बन्धित क्रियाएं	1152	32.38	1308	27.14	2203	27.24
2	उद्योग	236	6.63	340	7.06	553	6.84
3	निर्माण	109	3.06	200	4.15	415	5.13
4	व्यापार एवं वाणिज्य	1089	30.61	1520	31.55	2520	31.16
5	यातायात एवं संचार	351	9.87	500	10.38	787	9.73
6	अन्य सेवाएं	621	17.45	950	19.72	1609	19.90
	योग	3558	100.00	4818	100.00	8087	100.00
	सहभागिता अनुपात	31.81 %		34.41%		32.35%	

स्रोत : जनगणना, भारत सरकार एवं *अनुमान।

4.3 नगरीय क्षेत्र :-

राज्य सरकार द्वारा पिड़ावा का मास्टर प्लान बनाने हेतु राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा (3) की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक प.10(133)नविवि/3/2010 जयपुर दिनांक 20.07.2010 जारी कर पिड़ावा नगरीय क्षेत्र में 09 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 6604 एकड़ है। नगरीय क्षेत्र में पिड़ावा सहित मीरपुरा, राजपुरा, अमीरपुरा, दिलावरा, बालदा, नाराना, ईलाहीपुरा एवं बिस्मिल्लापुरा ग्राम सम्मिलित किये गये हैं जिसकी सूची परिशिष्ट-3 पर अंकित है।

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र :-

पिड़ावा की जनसंख्या वर्ष 2001 में 11185 से बढ़कर मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2031 में 25000 हो जाने का अनुमान है। वर्ष 2010 में पिड़ावा की जनसंख्या लगभग 14000 अनुमानित की गई है। इस प्रकार योजना अवधि के दौरान नगर की कुल जनसंख्या वृद्धि लगभग 11000 होने का अनुमान है। नगर में इस बढ़ी हुई आबादी के लिए आवास, कार्यक्षेत्र, मनोरंजन व अन्य कार्यों हेतु अतिरिक्त भूमि का प्रावधान किया जाना है। विकास को वांछित मापदण्डों को ध्यान में रखकर कस्बे की कुल अनुमानित 25000 की आबादी के लिए क्षितिज वर्ष 2031 तक विभिन्न गतिविधियों की आवश्यकता हेतु लगभग 650 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। नगर का भौतिक स्वरूप व विकास की प्रवृत्ति बताती है कि नगरीय विस्तार अधिकतर उत्तर और पश्चिम दिशा में हो रहा है। नगर के दक्षिण-पूर्व व दक्षिण दिशा में चँवली नदी है, जिसके कारण उक्त दिशा में नगर का विस्तार नहीं होगा। भविष्य में विकास मुख्य रूप से उत्तर और पश्चिम दिशा में होने की सम्भावना अधिक है क्योंकि इस दिशा में समतल भूमि उपलब्ध है। योजना में केवल ऐसी कृषि भूमि का उपयोग किया गया है, जो नगर के निकट होने के कारण उन पर नगरीय विकास का दबाव है।

पिड़ावा के नगरीय क्षेत्र की संभावित सीमाओं का निर्धारण करते समय वर्तमान की भौतिक विशेषताओं को ध्यान में रखा गया है। नगर नियोजन के वांछित मानदण्डों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मुख्य कार्य/उद्देश्य हेतु भूमि की आवश्यकता का आंकलन किया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि संभावित जनसंख्या को उचित आधार पर बसाने और इसी के अनुरूप समुचित अनुपात में

कार्य केन्द्रों, आवासीय क्षेत्रों और सामुदायिक केन्द्रों का प्रावधान करते हुए इन्हें उपयुक्त एवं सुविधाजनक परिसंचरण व्यवस्था के नेटवर्क से जोड़ने हेतु विभिन्न उपयोगों की आवश्यकता होगी।

4.5 योजना क्षेत्र :-

पिड़ावा के नगरीय क्षेत्र को 3 योजना क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, जिनमें से दो नगरीय विकास के एवं एक परिधि नियंत्रण पट्टी योजना क्षेत्र है। ऐसा प्रस्ताव करते समय विकास के वर्तमान प्रतिरूप, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित मुख्य लक्षणों, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं की प्रस्तावित स्थिति और उनके पारस्परिक संबंध आदि तथ्यों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है। रोजगार, आवास, बाजार, मनोरंजन, तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं की दृष्टि से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रत्येक योजना क्षेत्र आत्मनिर्भर ईकाई के रूप में होगा। प्रथम दो योजना क्षेत्रों में से प्रत्येक योजना क्षेत्र आवास, दुकानों, आमोद-प्रमोद एवं अन्य सुविधाओं में भी आत्म निर्भर होगा। मास्टर प्लान के क्रियान्वयन के लिए योजना क्षेत्र को सेक्टर प्लान के माध्यम से विभाजित कर चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। तीनों योजना क्षेत्र एवं उनका क्षेत्रफल तालिका संख्या -10 में दर्शाया गया है :

तालिका संख्या - 10
योजना क्षेत्र -पिड़ावा- 2031

क्र० सं०	योजना क्षेत्र	क्षेत्रफल (एकड़ में)	जनसंख्या
अ	दक्षिणी योजना क्षेत्र	360	15000
ब	उत्तरी योजना क्षेत्र	290	10000
	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	650	25000
स	परिधि नियंत्रण पट्टी	5954	—
	अधिसूचित नगरीय क्षेत्र	6604	—

प्रत्येक योजना क्षेत्र की सीमा को नगरीय क्षेत्र मानचित्र पर अलग से दर्शाया गया है, जिसमें राजस्व ग्रामों की सीमाएं, विद्यमान नगरीयकृत क्षेत्र एवं वर्ष 2031 के लिए प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की सीमाएं भी दर्शित हैं। प्रथम दो योजना क्षेत्र, कुल नगरीयकरण योग्य दर्शाते हैं, जबकि अन्तिम योजना क्षेत्र परिधि नियंत्रण पट्टी को इंगित करता है।

अ- दक्षिणी योजना क्षेत्र

कोटड़ी से सोयतकलाँ मार्ग के दक्षिणी भाग को दक्षिणी योजना क्षेत्र के रूप में रखा गया है। इस योजना क्षेत्र में चँवली नदी के तट पर स्थित पुरानी आबादी क्षेत्र का प्रमुख भाग सम्मिलित किया गया है। इस क्षेत्र के पश्चिम में प्रस्तावित केजरिया व कोटड़ी सड़क को मिलाने वाले प्रस्तावित बाह्य मार्ग तथा दक्षिण-पूर्वी भाग में दाँता सड़क व सोयतकलाँ सड़क को मिलाने वाले बाह्य मार्ग

को मिलाने तक का क्षेत्र सम्मिलित है। इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 360 एकड़ है। इस योजना क्षेत्र में कस्बे का पुराना अधिवास है जिसमें सघन आवास क्षेत्र है। इस क्षेत्र में उपखण्ड कार्यालय, न्यायालय, नगर पालिका, चिकित्सालय, विद्यालय, इत्यादि प्रमुख संस्थान/कार्यालय स्थित हैं। इस योजना क्षेत्र में चवली नदी के तट पर स्थित मेला मैदान और रीजनल पार्क प्रमुख आमोद-प्रमोद के स्थान हैं। इस योजना क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के विस्तार के लिए पर्याप्त स्थल प्रस्तावित किये गए हैं, जिनमें मुख्यतः सिटी लेवल पार्क, चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, सामुदायिक केन्द्र, व्यावसायिक क्षेत्र तथा आवासीय क्षेत्र हैं। इस योजना क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी, थोक व्यापार, एक सामुदायिक केन्द्र, स्कूल, वर्तमान में स्थित राजकीय कार्यालय एवं उनके विस्तार हेतु प्रस्तावित नये स्थल, अन्य सामुदायिक केन्द्र, आदि के प्रस्ताव को सम्मिलित किया गया है।

ब- उत्तरी योजना क्षेत्र

इस योजना क्षेत्र में कोटड़ी सड़क से सोयतकलाँ सड़क के उत्तर का समस्त भाग सम्मिलित किया गया है। इस क्षेत्र में सोयतकलाँ एवं सुनेल सड़क के मध्य प्रस्तावित प्रान्तीय राज मार्ग के बाईपास तक का क्षेत्र एवं कोटड़ी सड़क को मिलाने वाले बाह्य मार्ग तक का क्षेत्र सम्मिलित है। इस योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 290 एकड़ है। इस योजना क्षेत्र में प्रस्तावित बाह्य मार्ग (बाईपास) के दक्षिण का क्षेत्र सम्मिलित है। इस योजना क्षेत्र में नया विकास प्रस्तावित किया गया है। इस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र, भण्डारण एवं गोदाम, बसस्टैण्ड, जनोपयोगी सुविधाएं, व्यावसायिक एवं आवासीय क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस योजना क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के लिए नये स्थल प्रस्तावित किये गये हैं, जिनमें मुख्यतः स्टेडियम, महाविद्यालय, व्यावसायिक महाविद्यालय, चिकित्सालय, बस स्टैण्ड, सामुदायिक केन्द्र, व्यावसायिक क्षेत्र तथा आवासीय क्षेत्र का प्रावधान किया गया है।

स- परिधि नियंत्रण पट्टी

उपरोक्त दोनों योजना क्षेत्रों/नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर तथा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र की सीमा के मध्य अनियंत्रित विस्तार एवं अनियोजित विकास को नियंत्रित करने के लिए परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गई है। परिधि नियंत्रण पट्टी में वर्ष 2031 तक के लिये प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य सीमा एवं नगर सुधार अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित नगरीय सीमा के मध्य आने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है। परिधि नियंत्रण पट्टी का उद्देश्य नगर की परिधि में व सड़कों के सहारे-सहारे होने वाले अनियोजित विकास को रोकना है। कृषि एवं सहायक गतिविधियां ही इस क्षेत्र में स्वीकृति योग्य होंगी।

परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास नियमित व नियोजित रूप से हो, इसके लिए प्रयास किये जाने आवश्यक है। ग्रामीण बस्तियों का विकास सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने नियंत्रण एवं अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 142 के अन्तर्गत किया जा सकेगा। परिधि नियंत्रण पट्टी में कृषि सेवा केन्द्र, हाइवे सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, डेयरी एवं अर्वाशीतन केन्द्र, पौधशालाएं, रिसोर्ट, फार्म हाऊस, मौंटैल्स, वाटर पार्क, एम्यूजमेन्ट पार्क, कृषि आधारित लघु उद्योग यथा दुग्धशाला, फलोद्यान, पौधशाला, मुर्गीपालन तथा अन्य प्राथमिक लघु उद्योग जैसे गिट्टी क्रेशर, ईट एवं चूना भट्टा, चमड़ा उद्योग इत्यादि निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अनुज्ञेय होंगे। कस्बे के भावी समेकित विकास की दृष्टि से परिधि नियंत्रण पट्टी का महत्व रहेगा। इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 5954 एकड़ है।

भू-उपयोग योजना

पिड़ावा कस्बे का मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष 2031 के लिए विभिन्न भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित सूचनाओं, वर्तमान विकास की पद्धति, विस्तार की दिशा व बाध्यताएं, जनसंख्या वृद्धि दर, व्यावसायिक संरचना, परिसंचरण व्यवस्था तथा भूमि की उपलब्धता के दृष्टिगत कस्बे के भावी विकास की रूपरेखा तैयार की गई है तथा इसे प्रस्तावित भू-उपयोग योजना में उद्धृत किया गया है। भू-उपयोग योजना विभिन्न योजनागत नीतियों और सिद्धान्तों का स्थानिक विस्तार के रूप में रूपान्तरण है। पिड़ावा कस्बे के मास्टर प्लान का उद्देश्य अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में संतुलित, एकीकृत एवं सुनियोजित विकास को दिशा प्रदान करना है। नगरीय भूमि एक दुर्लभ संसाधन है। अतः इसका उपयोग जहां तक सम्भव हो, समस्त नागरिकों की आवश्यकताओं तथा विधि सम्मत आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाना चाहिए। इस प्रकार भू-उपयोग योजना विशिष्ट क्रिया-कलापों के चयन और उनके चरणबद्ध विकास के लिए माध्यम होगी।

क्षितिज वर्ष 2031 के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग योजना में भू-उपयोग हेतु उपयुक्त घनत्व के मानदण्डों का आंकलन कर क्षितिज वर्ष 2031 में कुल आवश्यक क्षेत्रफल आंकलित किया है। क्षितिज वर्ष 2031 के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग हेतु कुल 636 एकड़ भूमि विकास योग्य क्षेत्र के अधीन प्रस्तावित की गई है। फलस्वरूप कस्बा स्तर का घनत्व लगभग 39 व्यक्ति प्रति एकड़ रहता है। उक्त विकास योग्य क्षेत्र के 40.8 प्रतिशत आवासीय, 7.86 प्रतिशत वाणिज्यिक, 4.40 प्रतिशत औद्योगिक, 3.23 प्रतिशत सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय, 13.77 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक, 12.42 प्रतिशत आमोद-प्रमोद तथा 17.52 प्रतिशत परिसंचरण प्रयोजनार्थ भूमि प्रस्तावित की गई है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में 636 एकड़ कुल विकास योग्य क्षेत्र, 14 एकड़ पौधारोपण तथा जलाशय-नदी, नाले आदि को सम्मिलित करते हुए कुल 650 एकड़ भूमि सम्मिलित की गई है।

प्रस्तावित भू-उपयोग को तालिका संख्या-11 में दर्शाया गया है।

तालिका – 11
प्रस्तावित भू-उपयोग – पिड़ावा – 2031

क्र. सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्रस्तावित कुल विकास योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	प्रस्तावित कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
1	आवासीय	260	40.8	40.00
2	वाणिज्यिक	50.00	7.86	7.69
3	औद्योगिक	28	4.40	4.31
4	सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी	20	3.23	3.09
5	आमोद-प्रमोद	79	12.42	12.15
6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	87.60	13.77	13.47
7	परिसंचरण	111.40	17.52	17.14
	कुल विकास योग्य क्षेत्र	636	100.00	97.85
8	वृक्षारोपण, जलाशय, नदी एवं नाले	14	—	2.15
	कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	650	—	100.00

5.1 आवासीय :-

पिड़ावा कस्बे की आवासीय क्षेत्रों की योजना इस ढंग से तैयार की गई है कि ताकि स्वस्थ पर्यावरण को प्रोत्साहन मिले तथा कार्य-स्थलों और आमोद-प्रमोद के स्थल तक आने-जाने के समय में कमी हो। युक्ति संगत आवासीय विकास, नागरिकों को सुविधाजनक जीवन प्रदान कर सकेगा, जिससे सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध प्रगाढ़ होंगे एवं लोगों को आवासीय बस्तियों के निकट ही प्रतिदिन की आवश्यकताओं हेतु सुविधाएं एवं जनोपयोगी सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी। इस दृष्टि से लगभग 25000 व्यक्तियों को बसाने के लिए वर्ष 2031 तक लगभग 260 एकड़ आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। नगर का औसत आवासीय घनत्व लगभग 97 व्यक्ति प्रति एकड़ होगा। नगर के भीतरी भाग एवं कार्य केन्द्रों के समीप अपेक्षाकृत उच्च आवासीय घनत्व प्रस्तावित किया गया है, ताकि अधिकतर लोग इनके समीप ही रह सकें।

नियोजन की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक नगरीय ईकाई को स्वावलम्बी समूहों में विभाजित किया जा सकता है। जिनमें सबसे छोटे चरण को भारतीय परिवेश में मोहल्ला कहा जाता है। ऐसे मोहल्लों में सामान्यतः 50-100 परिवार निवास करते हैं। इन मोहल्लों में पारिवारिक आत्मीयता, व्यक्तिगत एवं आपसी सम्बन्धों की प्रगाढ़ता बनी रहती है। कुल मोहल्लों के समूहों को मिलाकर बनी बस्तियों को योजना ईकाई कहा जाता है, जिसकी आबादी 1000-2000 होती है। ऐसी योजना के केन्द्रीय स्थल पर प्राथमिक विद्यालय एवं वाणिज्यिक सुविधा के

रूप में छोटी दुकानें, लघु उद्यान, चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्ध होती है। इस प्रकार की चार से पांच योजना इकाइयां मिलकर एक आवासीय योजना क्षेत्र का स्वरूप ग्रहण करेगी। ऐसे प्रत्येक आवासीय योजना क्षेत्र को एक माध्यमिक विद्यालय, स्थानीय शॉपिंग सेन्टर, सार्वजनिक उद्यान और अन्य सामुदायिक सुविधाओं से परिपूर्ण किया जाएगा।

इस प्रकार पिड़ावा नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की 25000 जनसंख्या को विभिन्न योजना क्षेत्रों में बांटा जाएगा। स्थानीय स्तर की विभिन्न सुविधाएं जैसे प्राथमिक विद्यालय, औशधालय, उद्यान, खेल के मैदान, शॉपिंग सेन्टर एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं का क्रियान्वयन मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप विस्तृत योजनाएं बनाकर किया जायेगा। आवासीय उपयोग हेतु 260 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 40.8 प्रतिशत है। इसमें से दिलावरा को जाने वाली एवं सरोनिया को जाने वाली सड़कों के मध्य में एवं प्रस्तावित बाह्य मार्ग के दक्षिण में लगभग 14.0 एकड़ भूमि अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र हेतु प्रस्तावित की गई है। नगर के विकास की दिशा को ध्यान में रखते हुए राज्य राजमार्ग सं० 19-ए, मायाखेडी एवं दिलावरा जाने वाले मार्गों पर आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं। इनके पास ही परिवहन, चिकित्सा एवं वाणिज्यिक गतिविधियां प्रस्तावित की गई है।

5.2 वाणिज्यिक :-

पिड़ावा कस्बा झालावाड़ जिले का एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित वाणिज्यिक और व्यापारिक केन्द्र है और भविष्य में भी रहेगा। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2031 तक पिड़ावा कस्बे के विभिन्न वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में लगभग 2520 श्रमिक अर्थात् कुल श्रमिकों का 31 प्रतिशत नियोजित होने लगेगा। अतः इन सुविधाओं को ऐसे युक्तिसंगत ढांचे में बांटा जाना वांछित है, जिससे आवासीय क्षेत्रों से नगर केन्द्र तक यातायात न्यूनतम किया जा सके। उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक पदानुक्रमी रूप में वाणिज्यिक क्रियाओं को प्रस्तावित किया है।

पिड़ावा कस्बे में वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत कुल प्रस्तावित क्षेत्र 50.00 एकड़ है, जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 7.86 प्रतिशत होगा। सामुदायिक केन्द्र, विशिष्ट एवं थोक बाजार, गोदाम एवं भण्डारण आदि प्रस्तावित भू-उपयोग योजना मानचित्र में दर्शाये गये हैं। विस्तृत योजना बनाते समय विभिन्न प्रकार की दुकानें, सर्विस सेन्टर इत्यादि प्रस्तावित किये जा सकेंगे। दो सामुदायिक वाणिज्यिक केन्द्रों का प्रावधान किया गया है। तालिका संख्या - 12 में प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों के वितरण को दर्शाया गया है—

तालिका संख्या – 12

प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का वितरण – पिड़ावा – 2031

क्र०सं०	वाणिज्यिक क्षेत्र	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	शहरी केंद्र व अन्य वाणिज्यिक स्थल	11.00
2	सामुदायिक केन्द्र	6.50
3	थोक व्यापार	20.50
4	भण्डारण एवं गोदाम	12.00
	योग	50.00

5.2(1) शहरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक स्थल :-

पिड़ावा में कोई मुख्य शहरी केन्द्र नहीं है। पिड़ावा कस्बे के आन्तरिक भाग में विद्यमान वाणिज्यिक गतिविधियां पिड़ावा के दैनिक वाणिज्यिक क्रियाकलापों का एक मुख्य आधार है। इस सघन विकसित क्षेत्र में और अधिक विस्तार की संभावना नहीं है अतः कोटड़ी से सोयत कलाँ मार्ग पर कई वाणिज्यिक गतिविधियां प्रस्तावित की गई है। फिर भी वर्तमान में स्थित मुख्य बाजार शहर में मुख्य शहरी केंद्र के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। जहां पर न्यूनतम नवीन वाणिज्यिक गतिविधियां ही अनुज्ञेय होंगी। शहरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक स्थल हेतु 11 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.2(2) सामुदायिक केन्द्र :-

वाणिज्यिक क्रियाओं का विकेन्द्रीकरण करने एवं भविष्य की खुदरा बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से 6.50 एकड़ अतिरिक्त भूमि वाणिज्यिक केन्द्र हेतु प्रस्तावित की गई है। ये प्रस्तावित केन्द्र पिड़ावा कस्बे के विद्यमान एवं प्रस्तावित विकसित क्षेत्रों की जनसंख्या को अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। इसके अन्तर्गत खुदरा एवं थोक दुकानें, वाणिज्यिक कार्यालयों, सामुदायिक सभागार, पेट्रोल पम्प इत्यादि की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। भू-उपयोग योजना में एक सामुदायिक केन्द्र हेतु स्थल मायाखेड़ी सड़क एवं सोयतकलाँ जाने वाली सड़क के जंक्शन पर एवं दूसरा स्थल कोटड़ी सड़क के दक्षिण की ओर प्रस्तावित किया गया है।

5.2(3) थोक व्यापार :-

पिड़ावा कस्बे में अनाज मण्डी सोयतकलाँ रोड पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 6.50 एकड़ है। कस्बे में अन्य थोक व्यापार हेतु अलग से कोई स्थान निर्धारित नहीं है। वर्तमान में अन्य थोक व भवन निर्माण सामग्री व्यवसाय कस्बे में सड़क के इर्द-गिर्द एवं कस्बे के मध्य में ही चल रहा है। कृषि उत्पादों इत्यादि के थोक व्यापार के बाजारों की स्थापना हेतु संभावित मांग को पूरा करने की दृष्टि से 14 एकड़ भूमि का प्रस्ताव सोयतकलाँ रोड पर कृषि उपज मंडी के

विस्तार के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार उक्त स्थल पर लगभग 20.50 एकड़ भूमि कोटड़ी- सोयतकलाँ सड़क के दक्षिण में प्रस्तावित की गई है। इसमें अनाज, फल एवं सब्जी मण्डी हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है। यह प्रस्ताव वस्तुओं के लदान के विस्तृत पैमाने एवं भारी यातायात के कुशल संचालन को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। उक्त प्रस्तावित स्थल के कुछ भाग में अन्य थोक व्यापार की गतिविधियां भी नियमित रूप से संचालित की जा सकेंगी।

5.2(4) गोदाम एवं भण्डारण :-

पिड़ावा कस्बे की औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्तर की वर्तमान एवं भावी सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए भण्डारण एवं गोदाम के प्रावधान हेतु उपयुक्त स्थल सोयतकलाँ रोड़ पर कृषि उपज मण्डी के उत्तर में प्रस्तावित किया गया है। भू-उपयोग योजना में सोयतकलाँ सड़क पर 12 एकड़ अतिरिक्त भूमि गोदाम एवं भण्डारण हेतु प्रस्तावित की गई है, जिसमें औद्योगिक वस्तुओं, अनाज, दालें, फल एवं सब्जी के भण्डारण एवं कोल्ड स्टोरेज इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

5.3 औद्योगिक :-

वर्तमान में पिड़ावा कस्बे में लघु एवं मध्यम तथा वृहत् श्रेणी की कोई औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं है। कस्बे में गृह उद्योग एवं छोटे आकार के उद्योग ही संचालित हैं। यह मुख्यतः पुराने कस्बे में स्थित हैं। गृह उद्योगों में सुनारी कार्य, जूते बनाना, टेलरिंग ऑटो रिपेयर, आटा चक्की आदि हैं। अधिकांश इकाइयां कस्बे में छितराए एवं बिखरे रूप में स्थापित है। नगर में भविष्य की सम्भावनाओं के दृष्टिगत नगरीय विकास के साथ-साथ औद्योगिक विकास की भी प्रबल सम्भावना रहेगी। औद्योगिक इकाइयां, सार्वजनिक सुविधाओं, सेवाओं तथा संरचना के अनुकूल लाभ हेतु सोयतकलाँ मार्ग एवं प्रस्तावित बाईपास सड़क के मध्य नदी के सहारे दक्षिण की ओर 28 एकड़ भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित की गई है, जिस पर रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने का प्रावधान है। उक्त औद्योगिक क्षेत्र का ले-आउट प्लान तैयार करते समय नदी के सहारे सड़क एवं पौधारोपण का प्रावधान किया जाएगा।

5.4 सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय :-

पिड़ावा झालावाड़ जिले का एक उपखण्ड मुख्यालय है। कालान्तर में भी यह कस्बा उक्त क्षेत्र का प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र बना रहेगा। वर्तमान में अधिकतर सरकारी कार्यालय कोटड़ी सड़क के दक्षिण में स्थित है। नगर में अधिकांश सरकारी कार्यालय राजकीय भवनों में ही संचालित हो रहे हैं। भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत भू-उपयोग प्रस्तावों में इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त स्थल उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान किया गया है। कोटड़ी सड़क के दक्षिण में राजकीय कार्यालयों हेतु लगभग 13 एकड़ अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित की गई है

जहां पर एक कार्यालय परिसर योजना का क्रियान्वयन किया जाकर विभिन्न कार्यालय स्थापित किये जा सकेंगे। इस प्रकार कस्बे में विद्यमान एवं प्रस्तावित कुल क्षेत्र योजना अवधि 2031 तक 20 एकड़ भूमि का प्रावधान रखा गया है, जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 3.23 प्रतिशत होगा।

5.5 आमोद-प्रमोद :-

पिड़ावा के निवासियों एवं प्रवासियों के मनोरंजन आमोद-प्रमोद हेतु वर्तमान में कोई विकसित स्थल नहीं है। क्षितिज वर्ष 2031 तक की आवश्यकताओं के दृष्टिगत विभिन्न स्थलों पर 71 एकड़ अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार कस्बे में विद्यमान एवं प्रस्तावित कुल क्षेत्र योजना अवधि 2031 तक 79 एकड़ भूमि का प्रावधान रखा गया है, जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 12.42 प्रतिशत होगा।

5.5(1) उद्यान, खुले स्थल, खेल के मैदान, स्टेडियम :-

सार्वजनिक उद्यान और खुले स्थलों को सामान्यतया नगर के फेफड़ों के रूप में माना जाता है। ये किसी सीमा तक शहर को सामाजिक एवं भौतिक स्वरूप प्रदान करते हैं। उद्यान एवं खुले स्थान कस्बे के पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंग होते हैं परन्तु वर्तमान में पिड़ावा कस्बे में एक भी नगर स्तर का उद्यान नहीं है। प्रत्येक नगर में सार्वजनिक उद्यान, खुले स्थान, खेल के मैदानों तथा अन्य मनोरंजन सुविधाओं का व्यवस्थित एवं युक्तिसंगत वितरण होना चाहिए। स्थानीय स्तर एवं नगर स्तर पर विभिन्न प्रकार की मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान करने हेतु एक युक्तिसंगत योजना का मास्टर प्लान में प्रावधान किया गया है। पिड़ावा नगर में नगर स्तर का उद्यान विकसित करने के लिए सोयतकलाँ व कोटडी सड़क के दक्षिण में लगभग 10 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। उक्त क्षेत्र में क्षेत्रीय स्तर का उद्यान विकसित करने हेतु चँवली नदी के सहारे दक्षिण दिशा की ओर क्षेत्रीय उद्यान हेतु लगभग 18 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है, जो दाताँ सड़क व कल्याणपुरा सड़क तक विस्तारित रहेगी। नगर के विभिन्न सेक्टर/क्षेत्रों में उद्यान व खुले स्थल के प्रावधान हेतु पर्याप्त स्थल आरक्षित किये गये हैं।

पिड़ावा में वर्तमान में कोई स्टेडियम नहीं है एवं उपलब्ध खेल मैदान में से एक भी नगरीय स्तर का नहीं है। पिड़ावा की भू उपयोग योजना में सुनेल सड़क पर पूर्व की ओर लगभग 7 एकड़ भूमि स्टेडियम हेतु प्रस्तावित की गई है।

इनके अलावा नगर के प्रत्येक सेक्टर/क्षेत्रों में लगभग 34 एकड़ अतिरिक्त भूमि खुला क्षेत्र एवं उद्यान हेतु प्रस्तावित की गई है। विस्तृत आवासीय योजनाएं तैयार करते समय अन्य स्थानीय स्तर के उद्यानों के लिए उचित प्रावधान रखा जाएगा।

5.5(2) अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजन :-

क्लब, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए रंगमंच, पुस्तकालय, तरणताल, सामुदायिक भवन आदि मनोरंजन की सुविधाओं का प्रावधान विकास योजना के अभिन्न अंग है। इन सुविधाओं की आमोद-प्रमोद के साथ शिक्षा व खेलकूद में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। नगर के पश्चिमी भाग में राजकीय एवं अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजन के लिए लगभग 4 एकड़ भूमि का प्रावधान किया गया है।

5.5(3) मेले/पर्यटन सुविधाएं :-

पुरानी आबादी के दक्षिण क्षेत्र में चँवली नदी के तट पर स्थित स्थल "मेला मैदान" के नाम से जाना जाता है, यहां प्रतिवर्ष दशहरे का मेला आयोजित किया जाता है। इसी मैदान में समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। इस उपयोग में लगभग 8 एकड़ भूमि के अतिरिक्त लगभग 4 एकड़ भूमि विस्तार के रूप में प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार इस उपयोग में लगभग 12 एकड़ भूमि के प्रस्ताव किये गये हैं।

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं :-

कस्बे का एकीकृत विकास करने तथा नागरिकों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शैक्षणिक, चिकित्सा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों और सार्वजनिक सेवाओं जैसी सामुदायिक सुविधाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाना आवश्यक है। आवासीय क्षेत्रों का वितरण, विकास के घनत्व, क्षेत्र की स्थानीय विशेषताओं और भविष्य के विकास की संभावनाओं आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इन सुविधाओं के लिए नगर में विभिन्न स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। इस उपयोग हेतु 87.60 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 13.77 प्रतिशत है।

5.6(1) शैक्षणिक सुविधाएं :-

यह नगर उपखण्ड मुख्यालय होने के कारण शिक्षा के लिए अपने क्षेत्र का एक प्रमुख केन्द्र रहेगा। पिड़ावा के आसपास कोई बड़ा शहर स्थित नहीं होने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी प्रायः यहां पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। सन् 2031 तक के लिये शिक्षण सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 34 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार उच्च स्तर के विद्यालय हेतु स्थलों अंकन किया गया है। प्राथमिक स्तर की शैक्षणिक सुविधाओं का प्रावधान आवासीय क्षेत्रों की विस्तृत योजना बनाते समय योजनाओं के ले-आउट में किया जाएगा। इनकी स्थिति एवं विद्यालयों का स्थान मास्टर प्लान की भू उपयोग योजना में नहीं दर्शाया गया है। वर्तमान व नये विकसित किये जाने वाले क्षेत्रों के लिए 1 व्यवसायिक प्रशिक्षण

केन्द्र, 1 महाविद्यालय एवं 3 उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। महाविद्यालय के लिए लगभग 8 एकड़ भूमि एवं व्यावसायिक संस्थान के लिए लगभग 15 एकड़ भूमि सुनेल रोड़ पर प्रस्तावित की गई है। महाविद्यालय हेतु आरक्षित स्थल के सामने की ओर स्टेडियम हेतु भूमि का प्रावधान किया गया है।

पिड़ावा में वर्ष 2031 के लिए अनुमानित 25000 जनसंख्या के लिए आवश्यक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं सीनियर सैकेण्डरी विद्यालयों की संख्या आंकलित की गई है, साथ ही पुरानी आबादी क्षेत्र में कार्यरत उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने का प्रस्ताव भी है। वर्ष 2031 की अनुमानित शैक्षणिक संरचना को तालिका संख्या-13 में दर्शाया गया है-

तालिका संख्या – 13
अनुमानित शैक्षणिक संरचना – पिड़ावा – 2031

क. सं.	विद्यालय का स्तर	आयु वर्ग	विद्यालय जाने योग्य विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या	विद्यालयों की संख्या
1	प्राथमिक विद्यालय	5-10	1190	10
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय	11-13	670	5
3	माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय	14-17	1019	5

5.6(2) चिकित्सा सुविधाएं :-

पिड़ावा कस्बे में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। इसमें 50 शय्या की सुविधा है। कस्बे में एक आयुर्वेदिक औषधालय एवं एक होम्योपैथिक/यूनानी औषधालय भी हैं। पिड़ावा में कोई भी निजी चिकित्सालय या औषधालय नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को सुविधाजनक दूरी में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य केन्द्रों/औषधालयों को उचित स्थलों पर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। कस्बे की अनुमानित जनसंख्या के मद्देनजर सामान्य चिकित्सालय हेतु लगभग 9 एकड़ भूमि माया खेड़ी सड़क के पूर्व में प्रस्तावित की गई है इसके अतिरिक्त आवासीय क्षेत्रों में औषधालयों की आवश्यकता होगी, जिसके लिए नगर के विभिन्न क्षेत्रों/सेक्टर में डिस्पेंसरी हेतु स्थल का प्रावधान किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रावधान उस क्षेत्र की योजना बनाते समय भी किया जा सकेगा। वर्तमान में कोटड़ी सड़क के समीप एक छोटा पशु चिकित्सालय कार्यरत है, जो अपर्याप्त है। अतः नगर में पशु चिकित्सालय हेतु सोयतकलाँ सड़क के दक्षिण में मण्डी स्थल के समीप लगभग 4.5 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.6(3) सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल :—

सामाजिक, एवं सांस्कृतिक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त स्थलों का प्रावधान रखा गया है। इस प्रयोजन में विभिन्न वर्गों के लिए धर्मशाला, सूचना केन्द्र, सामुदायिक भवन, रंगमंच आदि सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाओं हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध हो सकेंगे। नगर में उक्त प्रयोजनार्थ सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में स्थान निर्धारित किये गये हैं। मास्टर प्लान क्रियान्वयन के अंतर्गत आवासीय/ओ0सी0एफ0 योजनाओं में सामाजिक, सांस्कृतिक भवनों के लिए भूमि प्रस्तावित की जा सकेगी।

कस्बे के प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों में मुख्य स्थल रानी अहिल्या बाई द्वारा बनवाया गया एक सूर्य मन्दिर है जो मात्र पत्थरों से बनाया गया है। जिसको संरक्षित एवं विकसित किये जाने का प्रावधान है। नगर की पूर्व दिशा में चवली नदी के तट पर एक पुराना मठ बना हुआ है जहां पर एक पुरानी गुफा भी बनी हुई है। इन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने हेतु उचित संरक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

5.6(4) अन्य सामुदायिक सुविधाएं :—

अन्य सामुदायिक सुविधाओं के अंतर्गत बैंक, पुलिस स्टेशन, डाक एवं तार कार्यालय दूरदर्शन, अग्नि शमन केन्द्र, क्लब, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं, इमिग्र सेन्टर, धार्मिक संस्थाएं, धर्मशालाएं, छात्रावास, छोटे स्तर की चिकित्सा सुविधाएं, नर्सिंग होम, प्राथमिक स्तर की शैक्षणिक सुविधाएं इत्यादि विकसित की जा सकती हैं। पिड़ावा में उपलब्ध विद्यमान सामुदायिक सुविधाओं के अतिरिक्त वर्ष 2031 तक की आवश्यकताओं हेतु विभिन्न नगर के विभिन्न भागों में लगभग 9 एकड़ भूमि सामुदायिक सुविधाओं हेतु प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार नगर में अन्य सामुदायिक सुविधाओं हेतु 5 नये स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। जिनमें एक-एक स्थल सोयतकलाँ सड़क पर, डिस्पेन्सरी से कोटडी जाने वाली सड़क पर, नगर के पश्चिम भाग में, मायाखेड़ी जाने वाली सड़क के पूर्व में एवं सरोनियाँ जाने वाली सड़क पर प्रस्तावित किये गये हैं।

5.6(5) जनोपयोगी सुविधाएं :—

जलापूर्ति, जल-मल निकास व्यवस्था और विद्युत व्यवस्था नगरीय जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। नगर की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण से इन सेवाओं पर अत्यधिक भार बढ़ गया है अतः यह आवश्यक है कि इन समस्याओं को हल करने की दिशा में तुरन्त ध्यान दिया जाए। नगर में वर्तमान में जनोपयोगी सुविधाओं के उपयोग में आ रही भूमि के अलावा अतिरिक्त चार स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। जिनमें से एक स्थल कल्याणपुरा सड़क के पूर्व में, एक स्थल सरोनिया सड़क पर, एक स्थल मायाखेड़ी सड़क के पूर्व में तथा एक स्थल

कोटडी व सोयतकलॉ सड़क के उत्तर में प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार जनोपयोगी सुविधाओं के लिए 8 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.6(5)अ जलापूर्ति :-

नगर में वर्तमान में प्रतिदिन जलापूर्ति की जा रही है जो कि मानक से कम है। क्षितिज वर्ष 2031 तक नगर की अनुमानित जनसंख्या 25000 के लिए लगभग 34 लाख लीटर प्रतिदिन जलापूर्ति का आंकलन किया गया है। वर्तमान में उपलब्ध संचय क्षमता और सभी उपलब्ध पेयजल स्रोतों तथा जल वितरण व्यवस्था का उनकी पूर्ण क्षमता में उपयोग किया जाना आवश्यक है। साथ ही भविष्य में बढ़ने वाली आवश्यकताओं के अनुरूप इनमें अभिवृद्धि किये जाने की भी आवश्यकता है अतः पेयजल की अतिरिक्त आवश्यकताओं को अतिरिक्त ट्यूबवैलों एवं जलाशयों के निर्माण द्वारा और वितरण व्यवस्था में सुधार करके पूरा किया जाना प्रस्तावित है। कस्बे की पेयजल की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि करनी होगी अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भू-उपयोग योजना में किये गये प्रस्तावों के अनुरूप जल आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एक विस्तृत योजना तैयार करे। उक्त गतिविधि सम्पादित करने के लिए नगर के विभिन्न सेक्टर में स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

5.6(5)ब जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन :-

राज्य के अधिकांश कस्बों की भांति पिड़ावा में भी उपयुक्त जल-मल निस्तारण व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में कस्बे में खुली नालियां हैं, जिनमें जल-मल प्रवाह होता है। अतः जल-मल निस्तारण व्यवस्था का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। यह सुझाव है कि सामान्य ढलान को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय क्षेत्र से बाहर एक जल-मल निस्तारण स्थल निर्धारित किया जाय। स्थानीय निकाय विभाग, भू उपयोग योजना के अनुरूप जल-मल निकास की समुचित योजना बनायेगा। जल-मल निकास संयंत्र का स्थान जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से विचार-विमर्श कर सुनिश्चित किया जाएगा।

स्वच्छ वातावरण के लिए दूषित पदार्थों के निस्तारण एवं इसके पुनः उपयोग की उचित व्यवस्था आवश्यक है। ठोस कचरा (सोलिडवेस्ट) निस्तारण हेतु स्थल का चयन ग्राम शेरपुरा के खसरा न0 35 की 2 बीघा भूमि पर नगर पालिका द्वारा किया गया है। उक्त भूमि अधिसूचित नगरीय क्षेत्र के बाहर स्थित है। यहाँ पर इसके विस्तार हेतु और भूमि उपलब्ध है। जैविक चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण हेतु नगर पालिका द्वारा प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल विभाग के मानदण्डों अनुसार आबादी से दूर स्थल चयनित किया जाना अपेक्षित है। वर्तमान में पिड़ावा में घरों से कूड़ा एकत्रित करने हेतु कोई उचित व्यवस्था नहीं है। लोगों द्वारा सड़कों पर ही कूड़ा डाल दिया जाता है जिसका समय पर उचित ढंग से निस्तारण सम्भव नहीं हो पाता है। अतः यह आवश्यक है कि घरों से निकलने वाले कूड़े को एकत्रित करने के लिये उचित व्यवस्था की जाए एवं ठोस कचरे के निस्तारण हेतु

नगर पालिका द्वारा विस्तृत कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। ऐसी योजना को जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन या अन्य केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की जाने वाली अन्य योजनाओं के तहत शीघ्र बनाकर क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

5.6(5)स विद्युत आपूर्ति :-

शहर की जनसंख्या व आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के साथ-साथ विद्युत की मांग में भी वृद्धि होना स्वाभाविक है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लि० द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग योजना को ध्यान में रखकर विस्तृत वितरण की एक समुचित योजना तैयार करना अपेक्षित है। उक्त गतिविधि सम्पादित करने के लिए नगर के विभिन्न भागों में स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

5.6(5)द श्मशान एवं कब्रिस्तान :-

वर्तमान में स्थित श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थलों को अपने वर्तमान स्थलों पर ही बनाये रखे जाकर उनको विकसित करने एवं उन स्थलों पर सघन पौधारोपण करने का प्रस्ताव है। भविष्य में नये श्मशान व कब्रिस्तान मांग के अनुसार परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थानीय निकाय/ज़िला प्रशासन की स्वीकृति पर स्थापित किये जा सकेंगे।

5.7 परिसंचरण :-

किसी भी कस्बे/शहर की परिसंचरण व्यवस्था वहां के भावी भू-उपयोग प्रस्तावों का अभिन्न अंग होती है। परिसंचरण हेतु प्रमुख मार्गों की चौड़ाई, पार्किंग व्यवस्था एवं यातायात के आवागमन को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है, ताकि स्थानीय जनता के साथ-साथ पश्च क्षेत्र से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिये उत्कृष्ट यातायात व्यवस्था संचालित की जा सके। कस्बे की विभिन्न सड़कों के मार्गाधिकार वहां पर भविष्य में होने वाले यातायात के अनुरूप निर्धारित किये गये हैं। यह कस्बा अपने पृष्ठ क्षेत्र के लिए सेवा केन्द्र का काम करता रहेगा और यहां पर उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय जैसी आर्थिक क्रियाएं विकसित हो जाएंगी। अतः कस्बे के लिए वस्तुओं तथा यात्रियों के लिए परिवहन एवं आवागमन हेतु एक कुशल अनुवर्ती क्रम में मार्गों की व्यवस्था की आवश्यकता है। कस्बे में परिसंचरण में कुल 111.40 एकड़ भूमि का प्रावधान रखा गया है जो कुल विकसित क्षेत्र का 17.52 प्रतिशत होगा।

5.7(1) प्रस्तावित यातायात संरचना :-

पिड़ावा नगर में वर्तमान में क्षेत्रीय यातायात का भार मुख्य रूप से अन्दर की विद्यमान सड़कों विशेषकर राज्य राजमार्ग संख्या-19 ए पर (सुनेल मार्ग से सोयतकलॉ मार्ग) यातायात का दबाव रहता है। यातायात की समस्या को कम करने के लिये शहर के बाहर की ओर एक बाह्य सड़क 60 मीटर चौड़ी प्रस्तावित की गई है, जो सुनेल मार्ग से सोयतकलॉ जाने वाली सड़क को लिंक करेगी। सुनेल सड़क को कोटड़ी सड़क से मिलाने हेतु 30 मीटर चौड़ी प्रमुख सड़क प्रस्तावित की गई है जो दक्षिण की ओर केजरिया सड़क को लिंक करेगी। नगर

के दक्षिणी भाग में दाँता सड़क से सोयतकलाँ जाने वाली सड़क को लिंक करने के लिए एक 30 मीटर चौड़े बाह्य मार्ग का प्रस्ताव किया गया है। सुगम व व्यवस्थित यातायात के प्रवाह हेतु मार्गों की क्रमवार व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। विभिन्न कार्य केन्द्रों व आवासीय क्षेत्रों को जोड़ने हेतु 24 मीटर चौड़ी उप प्रमुख सड़कें एवं 18 मी० चौड़ी मुख्य सड़कें व अन्य सड़कें भी आवश्यकतानुसार प्रस्तावित की गई हैं।

पिड़ावा कस्बे की यातायात व्यवस्था के सुगमता से संचालन हेतु विभिन्न स्तर की सड़कों को 4 श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए मानक चौड़ाई को तालिका संख्या-14 में दर्शाया गया है:-

तालिका संख्या - 14

विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित मानक चौड़ाई - पिड़ावा- 2031

क्र० सं०	सड़कों का प्रकार	मार्गाधिकार(मी०)
1	राज्य राजमार्ग / बाह्य मार्ग	60
2	प्रमुख मार्ग / बाह्य मार्ग (द्वितीय)	30
3	उप प्रमुख मार्ग / ग्रामीण सड़कें	24
4	मुख्य मार्ग	18

तालिका संख्या - 15

विद्यमान एवं प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार - पिड़ावा - 2031

क्र० सं०	सड़कों का प्रकार	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी० में)
1	सुनेल सड़क पर प्रस्तावित चौराहे से नगरीय सीमा तक	60
2	सुनेल सड़क व सोयतकलाँ सड़क के मध्य प्रस्तावित बाह्य मार्ग	60
3	सोयतकलाँ सड़क पर प्रस्तावित चौराहे से नगरीय सीमा तक	60
4	सुनेल सड़क पर प्रस्तावित सुनेल चौराहे से कोकोनट चौराहे तक सड़क	30
5	मायाखेड़ी जाने वाली सड़क	30
6	कृषि उपज मण्डी तिराहे से सोयतकलाँ चौराहे तक	30
7	सुनेल सड़क से केजरिया सड़क के मध्य प्रस्तावित बाह्य मार्ग (द्वितीय)	30
8	दाँता सड़क व सोयताकलाँ सड़क के मध्य प्रस्तावित बाह्य मार्ग (द्वितीय)	30
9	पुलिस स्टेशन से कोटड़ी जाने वाली सड़क	30
10	कोकोनट चौराहे से कृषि उपज मण्डी तिराहे तक	24
11	कोकोनट चौराहे से डिस्पेंसरी होते हुए कोटड़ी सड़क को मिलाने वाली सड़क	24

12	दाँता सड़क से कोटड़ी सड़क को मिलाने वाली सड़क	24
13	ग्रामीण सड़क	24
14	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व में प्रस्तावित मुख्य सड़क एवं भण्डारण एवं गोदाम के पश्चिम में प्रस्तावित मुख्य सड़क	18
15	दिलावरा सड़क व मायाखेड़ी सड़क के मध्य प्रस्तावित सड़कें	18
16	माया खेड़ी सड़क व सुनेल सड़क के मध्य प्रस्तावित सड़कें	18
17	सुनेल सड़क व कोटड़ी सड़क के मध्य स्थित/प्रस्तावित सड़कें	18
18	नगर के दक्षिणी भाग में कोटड़ी सड़क व केजरिया सड़क के मध्य प्रस्तावित सड़कें	18
19	कृषि उपज मण्डी के पश्चिम में विद्यमान सड़क एवं चँवली नदी के पश्चिम में प्रस्तावित सड़क	18

5.7(1)अ सड़कों को चौड़ा करना एवं उनका सुधार :-

विभाग द्वारा यह नीति निर्धारित की गई है कि सभी वर्तमान सार्वजनिक मार्ग, जिन्हें प्रमुख, उप प्रमुख और मुख्य सड़कों के रूप में भू-उपयोग योजना में प्रस्तावित किया गया है, जहां तक सम्भव हो मानक चौड़ाई के होंगे, किन्तु शहर के भीतरी स्थानों पर कतिपय बाधाओं के कारण तथा शहर के बीच सड़कें चौड़ी किया जाना सम्भव नहीं है या सड़कें चौड़ी करने में भारी निवेश करना पड़े और अधिक संख्या में इमारतों को तोड़ना पड़े तो अपेक्षाकृत निम्न मानक को अपनाया जा सकता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में किये जाने वाले समस्त विकास कार्य प्रस्तावित भू-उपयोग एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप हों। जहां तक आवश्यक हो शहर के महत्वपूर्ण चौराहों एवं महत्वपूर्ण सड़कों की विस्तृत कार्य योजनाएं बनाकर उनके अनुसार ही विकास कार्य किये जाने चाहिए। प्रस्ताव है कि भविष्य में परिसंचरण प्लान के अनुरूप विकास किया जावे। आवश्यकतानुरूप बढ़ते यातायात के मध्येनजर यातायात योजना बनाकर लागू की जाए।

राजमार्ग एवं प्रमुख बाह्य मार्ग, जिनका मार्गाधिकार 60 मीटर अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जो भी निर्धारित किया जाए, के दोनों ओर सड़क के मध्य से पर्याप्त मार्गाधिकार की दूरी रखते हुए, सर्विस रोड रखी जाएगी। इस सर्विस रोड के बाहर की तरफ दोनों ओर विद्युतीकरण एवं हरियाली के लिए 4.5 मीटर अथवा मार्गाधिकार की समुचित चौड़ाई के अनुपात में अतिरिक्त क्षेत्र छोड़ा जाएगा। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर सभी राजमार्गों/बाईपास/बाह्य मार्गों के सहारे उपरोक्त मार्गों के मार्गाधिकार के पश्चात् 50 फीट चौड़ी पट्टी सघन पौधारोपण

हेतु छोड़नी होगी तथा इस पट्टी के बाद समस्त अनुज्ञेय विकास कार्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति के पश्चात् ही किये जा सकेंगे।

5.7(1)ब प्रस्तावित चौराहा एवं चौराहा सुधार :-

पिड़ावा कस्बे में विद्यमान मुख्य चौराहों का यथासम्भव सुधार किया जाना प्रस्तावित है। नवीन विकसित क्षेत्रों के योजना प्लान में 5 मुख्य चौराहों को प्रस्तावित किया गया है। ये चौराहे कोटड़ी मार्ग, सुनेल मार्ग, मायाखेड़ी मार्ग, दिलावरा मार्ग एवं सोयतकलाँ मार्ग पर बाईपास मार्ग के साथ बनने वाले जंक्शनों पर बनाए जाना प्रस्तावित है। जिनकी विस्तृत योजना अलग से बनाई जाकर क्रियान्वित की जाएगी।

5.7(1)स पार्किंग व्यवस्था :-

पिड़ावा नगर में सड़कों का मार्गाधिकार कम होने के कारण वाहनों के पार्किंग में काफी परेशानी आती है अतः स्थानीय निकाय द्वारा पार्किंग हेतु स्थलों का चयन कर पार्किंग की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। वाणिज्यिक क्षेत्रों, प्रमुख व्यापारिक संस्थानों, बैंकों, सार्वजनिक स्थलों आदि में पार्किंग व्यवस्था सुधार प्रस्तावित है। नवीन विकसित क्षेत्रों के योजना प्लान बनाते समय पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जाएगी जिससे निरन्तर यातायात में बाधा उत्पन्न न हो।

5.7(2) बस एवं ट्रक टर्मिनल :-

पिड़ावा कस्बे में यात्रियों की सुविधा के लिए वर्तमान में जहां बसें ठहरती हैं, वह स्थल पर्याप्त नहीं है। कोटड़ी सड़क एवं राजपुरा सड़क के मध्य एक नवीन बस स्टैण्ड हेतु लगभग 7.0 एकड़ भूमि का प्रावधान रखा गया है। परिवहन सुविधा की दृष्टि से सोयतकलाँ मार्ग पर 11 एकड़ भूमि पर एक ट्रक टर्मिनल प्रस्तावित किया गया है, जो प्रस्तावित भण्डारण एवं गोदाम तथा अनाज मण्डी के समीप होने से वस्तुओं के लदान की दृष्टि से उपयुक्त स्थल रहेगा। इस ट्रक स्टैण्ड में मरम्मत की दुकानें, ऑटोमोबाईल दुकानें, वाहन पार्किंग स्थल, बैंक, पेट्रोल पम्प, सर्विस स्टेशन आदि सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

5.8 परिधि नियंत्रण पट्टी :-

कस्बे में अतिक्रमणों एवं अनाधिकृत विकास को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गई है। इसका उद्देश्य प्रस्तावित नगरीय विकास को सघन रूप में (कॉम्पेक्ट) बनाये रखना है। परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास नियंत्रित एवं नियोजित रूप से होने का प्रावधान रहेगा।

परिधि नियंत्रण पट्टी में कृषि सेवा केन्द्र, हाइवे सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, होटल, डेयरी एवं अवशीतन केन्द्र, पौधशालाएं, रिसोर्ट, फार्म हाऊस, मौटेल्स, वाटर पार्क, एम्यूजमेन्ट पार्क, कृषि आधारित लघु उद्योग यथा दुग्धशाला, फलोद्यान, पौधशाला, मुर्गीपालन तथा अन्य प्राथमिक लघु उद्योग जैसे क्रशर, ईट व चूना भट्टा, चमड़ा उद्योग, दाल मिल, स्टोन पॉलिशिंग, उद्योग इत्यादि निर्धारित मापदण्ड/अनुमोदित सेट बेक के साथ आ सकेंगे।

5.9 ग्रामीण आबादी क्षेत्र :-

परिधि नियंत्रण पट्टी के अन्दर, किन्तु प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर स्थित गाँवों का विकास ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत ही किया जायेगा। गाँवों का प्राकृतिक आबादी विस्तार नियोजित रूप से बढ़ने दिया जाएगा, ताकि सुव्यवस्थित ढंग से आबादी का विस्तार हो सके। इस संबंध में यह तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं गम्भीर चिंतन का है कि यदि नियोजित आबादी विस्तार का प्रावधान नहीं किया जाता है तो इस बात की पूरी सम्भावना है कि जनता आंचलों में अविवेकपूर्ण ढंग से निर्माण करने के प्रति लालायित होगी, जिससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध निर्माण की समस्या उत्पन्न होगी वरन् यह प्रवृत्ति नगरीय क्षेत्र के बाहर के इलाकों में मानकच्युत एवं यदृच्छ नगरीय विकास को जन्म देगी जिसके परिणामस्वरूप नियोजित नगरीय विकास का सम्पूर्ण उद्देश्य ही अर्थहीन बनके रह जाएगा। अतः ग्रामीण आबादी विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए इन गाँवों का नियोजित ढंग से विस्तार अपेक्षित है।

6

मास्टर प्लान का क्रियान्वयन

मास्टर प्लान किसी नगर के विकास के सम्भावित अवसरों का चित्रण मात्र है और इसे तभी मूर्त रूप प्रदान किया जा सकता है जब इनका क्रियान्वयन करने के लिए शक्तिशाली कदम निर्धारित समय में उठाये जाएं। पिड़ावा का मास्टर प्लान तैयार करते वक्त एक विवेक-सम्मत एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है। वर्तमान् उपयोगों का कम से कम स्थान परिवर्तन का लक्ष्य रखा गया है। सामान्य स्तर की सुविधाएं और सेवाओं को पर्याप्त स्तर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। नगर में अच्छी सामुदायिक सुविधाएं विकसित करने एवं सार्वजनिक सुविधाओं में वृद्धि करने और पिड़ावा को आवास एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से स्वास्थ्यकर स्थान बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही इस योजना को तैयार किया गया है।

पिड़ावा कस्बे के मास्टर प्लान के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि इसको कार्य रूप में परिणत किया जाए। सम्बन्धित विभाग जो कि इसके क्रियान्वयन से जुड़े हुए हैं, मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप निरन्तर कार्यशील रहते हुए समयबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से कस्बे का विकास करें एवं यह भी आवश्यक है कि विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित रखते हुए विकास कार्यों में भागीदारी निभावें। विभागों की सहभागिता के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों का प्रबन्धन, नागरिकों की सहभागिता, कानूनी प्रावधानों को लागू करना व आवश्यकतानुरूप तकनीकी मार्गदर्शन आदि घटक मास्टर प्लान प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूल आधार है।

6.1 वर्तमान् आधार :

विद्यमान् स्थानीय निकाय, पिड़ावा, नगर पालिका का गठन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। यह अधिनियम स्थानीय निकाय को उतने समुचित अधिकार प्रदान नहीं करता है, जितने कि सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में विकास कार्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से नियोजित किया जा सके। नगर में अन्य कई सार्वजनिक संस्थाएं भी कार्यरत् हैं, जो अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में निर्धारित नियमों, विनियमों एवं मानकों के अनुसार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती हैं।

6.2 प्रस्तावित आधार :

मास्टर प्लान के लागू होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान की एक प्रतिलिपि नगरपालिका पिड़ावा को भेजी जाएगी। इस प्रकार नगरपालिका, उक्त अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रति प्राप्त होने के पश्चात् कम से

कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रसारित करेगी कि पिड़ावा के नगरीय क्षेत्र के विकास कार्य उक्त मास्टर प्लान के अनुसार ही किये जाएंगे।

इस सार्वजनिक सूचना की प्रतिलिपि नगरपालिका पिड़ावा द्वारा राज्य एवं केन्द्र सरकार के समस्त विभागीय कार्यालयों को सूचनार्थ भेजी जाएगी। अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रतियां नगर के प्रमुख स्थलों यथा सूचना केन्द्र, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, नगरपालिका पिड़ावा में आम जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेंगी। आम जनता उक्त मास्टर प्लान की प्रति मय मानचित्रों के कार्यालय नगरपालिका पिड़ावा से निर्धारित मूल्य पर क्रय कर सकेगी।

नगरपालिका पिड़ावा मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप सफल क्रियान्वयन हेतु नगर नियोजन विभाग के सहयोग से विस्तृत प्लान तैयार करेगी। जलापूर्ति, जल-मल निकास, ठोस कचरा प्रबन्धन तथा शहर यातायात प्रबन्ध एवं सड़क विकास योजना सम्बन्धित विभागों द्वारा तैयार किये जाने प्रस्तावित हैं।

नगरपालिका मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार नगर नियोजन विभाग के परामर्श से वार्षिक एवं पंचवर्षीय परियोजनाएं तैयार कर क्रियान्वयन की कार्यवाही करेगी।

मास्टर प्लान क्रियान्वयन का दायित्व नगरपालिका पिड़ावा का रहेगा जबकि क्रियान्वयन की निगरानी हेतु एक समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इस समिति के अध्यक्ष जिला कलक्टर, सदस्य अधिशासी अभियन्ता, स्थानीय निकाय, अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तथा अधिशासी अधिकारी नगरपालिका पिड़ावा होंगे, जबकि इसके सदस्य सचिव संबन्धित उप नगर नियोजक होंगे। इस निगरानी समिति को अधिकार होगा कि वे समिति के विस्तार हेतु विषय विशेषज्ञों को सहवर्तित सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकेंगे। उक्त समिति की कम से कम तीन माह में एक बैठक आयोजित की जाएगी। समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के अतिरिक्त दो सदस्यों की उपस्थिति बैठक हेतु अनिवार्य होगी। उक्त समिति द्वारा वर्ष में एक बार मास्टर प्लान के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट सरकार के नगरीय विकास विभाग को भिजवाई जाएगी।

दीर्घकालीन योजना की सफलता के लिए योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन दोनों ही स्तर पर समन्वय का विशेष महत्व है। स्थानीय निकाय के पास पर्याप्त अधिकारी, समुचित वित्तीय संसाधन और तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि यह एक विकास एवं समन्वय संगठन के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर सके अतः यह प्रस्तावित किया गया है कि स्थानीय निकाय को पर्याप्त मजबूती और समुचित अधिकार दिये जाएं। सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र की योजना और विकास क्रियाओं पर इसका नियंत्रण हो। इस दृष्टि से आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय निदेशक/आयुक्त स्थानीय निकाय विभाग के स्तर पर करने होंगे।

6.3 जन सहभागिता एवं जन सहयोग :

नगर का विकास अन्ततः लोगों की आषाओं एवं प्रेरणाओं पर निर्भर करता है। मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वहां की जनता का पूर्ण सक्रिय सहयोग आवश्यक है। नागरिक जागरूकता ही नगर को सक्षम एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि कस्बे की जनता मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करे।

6.4 भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति :

पिड़ावा के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोगों का निर्धारण सरकारी भूमि की उपलब्धता, रिक्त एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।

मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गई स्वीकृतियां/अनुमोदन (Commitments) को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये योजना 2031 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। यदि पूर्व में की गई किसी स्वीकृति का समायोजन नहीं हो पाया है और ऐसी स्वीकृति नगर नियोजन विभाग या नगर नियोजन विभाग की स्वीकृति/सहमति से जारी की गई है, तो उसे समायोजित माना जाएगा। यदि स्वीकृति नगर नियोजन विभाग की सहमति से जारी नहीं की गई है तो प्रकरण में नगर नियोजन विभाग के परीक्षणों उपरान्त नगर नियोजन विभाग की सिफारिश पर राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त समायोजित मानी जाएगी।

मानचित्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र, जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन प्रचलित पद्धति से करने का प्रयास किया गया है तथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया हो तो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही मान्य होगी। इन नदी, नालों, जलाशयों इत्यादि में किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण/नियमन/रूपान्तरण नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे सूख गये हों। क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी।

प्रस्तावित जन सुविधाओं यथा-शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, खुले स्थल एवं जन उपयोगी सुविधाओं के विकास बाबत भूमि अवाप्ति की जाए, जिससे नगर के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

6.5 योजना का क्रियान्वयन :

पिड़ावा कस्बे के मास्टर प्लान में कस्बे के भावी नियोजित विकास हेतु आगामी वर्ष 2031 तक के लिए विभिन्न क्रियाकलापों हेतु प्रस्ताव रखे गये हैं। मास्टर प्लान की क्रियान्विति समयबद्ध, चरणबद्ध एवं उपलब्ध संसाधनों व तत्कालीन आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानीय निकाय पंचवर्षीय योजना बनाकर

उसकी सफल क्रियान्विति करें। इस प्रकार स्थानीय निकाय आगामी वर्षों के लिए विभिन्न चरणों में विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श कर एक कार्यकारी योजना तैयार करेगी तथा मास्टर प्लान की अनुवर्ती योजना के क्रम में विस्तृत योजना प्लान तैयार करवायेगी इस प्रकार विभिन्न चरणों में आवासीय, परिवहन, वाणिज्यिक व अन्य सुविधाओं आदि का विकास करवायेगी।

6.6 उपसंहार :

मास्टर प्लान भावी विकास की तस्वीर है, जिसकी सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है, जबकि इसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिणत किया जाए। इस योजना में आगामी वर्षों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ठोस कार्यक्रम भी सम्मिलित होते हैं। पिड़ावा का मास्टर प्लान तैयार करते समय एक विवेक सम्मत एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है तथा सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। नगर में नई सुविधाएं विकसित करके, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि करके और पिड़ावा को आवास की दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही इस योजना को तैयार किया गया है।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959

अध्याय द्वितीय

मास्टर प्लान

3- राज्य सरकार की मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्ति :

- (1) राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कर, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जायेगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।
- (2) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार, एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और इतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार उचित समझे।

4- मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु :

- (क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जायेंगे, जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाय तथा वह रीति उपदर्शित की जायेगी, जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है, और
- (ख) उस ढांचे के जिसमें विभिन्न जानों की सुधार स्कीमें तैयार की जाये और आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।

5- अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया :

- (1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी शासकीय रूप में कोई मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रकाशित करके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के सम्बन्ध में आक्षेप तथा सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे, प्रकाशित करेगा।
- (2) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि स्थित है, मास्टर प्लान के सम्बन्ध में अम्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।
- (3) ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अम्यावेदनों पर जो प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात् ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अंतिम रूप से मास्टर प्लान तैयार करेगा।
- (4) इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार करने से सम्बद्ध किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में उपबन्ध किये जा सकेंगे।

6- मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना :

- (1) प्रत्येक मास्टर प्लान, तैयार किये जाने के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

- (2) राज्य सरकार, मास्टर प्लान तैयार करने के लिये नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी, जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी।
- (3) राज्य सरकार, या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए, उसे अस्वीकार कर सकेगी।

7— मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीख :

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार, यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहां मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आ जायेगा।

राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के उद्घरण

THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST (GENERAL)

RULES, 1962

[Notification No. F.4(32)LSG/A/59, dated 2-4-1962 published in the Rajasthan Gazette, Part IV-C, Extraordinary dated 8-6-1962, Page 118].

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), the State Government hereby makes the following Rules, namely:

RULES

1. Short title and Commencement : (1) These rules may be called “The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules, 1962”.

(2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazette.

2. Definitions – In these rules, unless the subject of context otherwise requires:

(1) “Act” means, The Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959),

(2) “Trust” means a Trust as constituted under the Act,

(3) “Section” means a Section of the Act,

(4) Words and expression used but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Manner of Publication of Draft Master Plan and the contents thereof under section 5

(i).

¹[(1) The Draft Master Plan prepared by the Officer or, the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, shall be published by him by making a copy thereof available for inspection at the office of the Trust concerned and published a notice in the form “A” in the official Gazette and in at least two popular daily newspapers having circulation in the area inviting suggestions and objections from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of the publication of the said notice. If the officer or authority appointed under section 3 of the said Act is satisfied that response to the Draft Master Plan has been inadequate, the period may be extended further for a maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objections/ suggestions with respect to the draft of the Master Plan.]²

(2) The notice referred to a sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by Officer or the authority to each of the Local Body operating in the area included in the Master Plan

- (3) The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the following maps, plans and documents, namely:
- (a) Town Map showing General Layout of the roads and streets in the town.
 - (b) Base Map showing the Generalized existing land use pattern, such as residential, commercial, industrial, public and semi-public uses etc.
 - (c) Draft Master Plan showing broadly the proposed Land use pattern in the Urban area such as residential, commercial, industrial, public and semi-public uses etc.
 - (d) Written analysis and written statement to support the proposals.
 - (e) Any other maps, plans or matter which the officer or the authority deem fit or as the State Government may direct the officer or the authority in this regard.

4. Approval of Master Plan by the State Government under section 6 :

³[(1) After considering the objections, suggestions and representations which may be received by the Officer or the authority appointed under Section 3 to prepare the Master Plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council under Section 3(2) of the Act finalise the Master Plan and submit the same]⁴ if constituted to the State Government for approval.

(2) When the Master Plan has been approved by the State Government it shall publish in the Official Gazette, a notice in Form 'B', stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust/ Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day”.

-
- 1. Substituted by Clause 2 of Notification No. F.3(123)TP/36, dated 24-2-1970 vide C.S.R. 96 pub. in Raj. Gaz. Extra-ordin., Part IV-C, dated 24-2-1970 at page 329-331.
 - 2. Amended & Added vide Noti. No. F.7(19) TP/11/76 dated 21-09-1979 R.G. Pt. IV-C(i)dated 27-09-1979, page 339.
 - 3. Substituted by Clause 3 of Notification No. F.3(23) Tp/63, dated 24-2-1970 vide G.S.R. 96 pub. in Raj. Gaz.Extra-ordin., Part IV-C, dated 24-2-1970 at page 329-131.
 - 4. Substituted vide No. F.9(101) UDH/111/83, dated 27-10-1983 pub. inRaj.Gaz. 4(Ga) (i) dated 16.2.1984 pages 829.

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:—प. 10(133)नविवि/3/2010

दिनांक— 20 जुलाई 2010

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा को पिड़ावा (जिला झालावाड) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है:—

क्रम स०	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)
1	पिड़ावा	PIRAWA
2	मीरपुरा	MEERPURA
3	राजपुरा	RAJPURA
4	अमीरपुरा	AMIRPURA
5	दिलावरा	DILAWARA
6	बालदा	BALDA
7	नाराना	NARANA
8	इलाहीपुरा	ILAHIPURA
9	बिस्मिल्लापुरा	BISMILLAPURA

राज्यपाल के आदेश से

ह०

(पुरुषोत्तम बियाणी)

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा

सी0ए0डी0 चौराहा, नगर विकास न्यास भवन, प्रथम तल, कोटा-324009

क्रमांक: केटीजेड 1116/मा0प्लान/पिड़ावा/11/

दिनांक: 08.03.2011

अधिसूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5 की उप धारा (1) के अन्तर्गत एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम, 1962 के नियम 3 के अंतर्गत पिड़ावा नगर (जिला झालावाड़) के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2031 का प्रारूप तैयार कर जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रारूप मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित है :-

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)
1.	पिड़ावा	PIRAWA
2.	मीरपुरा	MEERPURA
3.	राजपुरा	RAJPURA
4.	अमीरपुरा	AMIRPURA
5.	दिलावरा	DILAWARA
6.	बालदा	BALDA
7.	नाराना	NARANA
8.	इलाहीपुरा	ILAHIPURA
9.	बिस्मिल्लापुरा	BISMILLAPURA

पिड़ावा नगर के मास्टर प्लान के इस प्रारूप के संबंध में राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की समयावधि में कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्तियाँ एवं सुझाव वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पिड़ावा (जिला झालावाड़) अथवा मुख्य नगर नियोजक, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, राजस्थान, जयपुर-302004 के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। मास्टर प्लान के प्रारूप को दिनांक 08/03/2011 से 06/04/2011 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में नगर पालिका भवन, पिड़ावा में देखा जा सकता है। मास्टर प्लान के इस प्रारूप से संबंधित पुस्तिका मय मानचित्र, कार्यालय नगर पालिका, पिड़ावा के क्रय की जा सकती है।

भवदीय,

ह0

(रतन लाल टुकलिया)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
कोटा जोन, कोटा

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(133)नवि/3/2010

जयपुर, दिनांक 16 APR.2012

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.07.2010 के द्वारा यथा अधिसूचित "पिड़ावा (जिला-झालावाड) के नगरीय क्षेत्र" के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2031 का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त मास्टर प्लान की प्रति का अवलोकन नगर पालिका, पिड़ावा के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह0

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

- 1.अधीक्षक, केन्द्रिय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी.डी. भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
- 2.प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3.मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- 4.अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
- 5.वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
- 6.जिला कलेक्टर, झालावाड।
- 7.अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पिड़ावा, जिला-झालावाड।
- 8.रक्षित पत्रावाली।

ह0

(प्रदीप कपूर)

उप नगर नियोजक